33

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति
(2021-22)

सत्रहवीं लोक सभा

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

अनुदानों की मांगों

(2022-23)

तेतीसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

16 मार्च, 2022/ 25 फाल्गुन, 1943 (शक)

सीसीएंडएफ सं. 161

तेतीसवां प्रतिवेदन

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति
(2021-22)

(सत्रहवीं लोक सभा)

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

अनुदानों की मांगों
(2022-23)

21 मार्च, 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।
21 मार्च, 2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

16 मार्च, 2022/ 25 फाल्गुन, 1943 (शक)
विषय-सूची

		पृष्ठ
समिति (2021-22) की संरचना		
प्राक्कथन		
	प्रतिवेदन	
अध्याय - एक	**परिचय**	
अध्याय - दो	वर्ष 2022-23 के लिए समग्र वित्तीय परिव्यय और प्रस्तावित कार्यनिष्पादन एवं अनुमोदित आवंटन	
अध्याय - तीन	वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान बजटीय आवंटन एवं उपयोग	
अध्याय – चार	योजना-वार विश्लेषण 1. पेट्रोरसायन संबंधी नई योजना (एनएसपी) 2. रसायन संवर्धन और विकास योजना (सीपीडीएस)	
अध्याय – पांच	अन्य कार्यक्रम /परियोजनाएं/ मुद्दे 1. केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट) 2. प्लास्टिक कचरा प्रबंधन केन्द्र (पीडब्ल्यूएमसी) 3. कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी)	

	4. भोपाल गैस रिसाव त्रासदी (बीजीडीएल) 5. देश में रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र 6. पेट्रोलियम रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर)	
	भाग-दो	
	टिप्पणियां/सिफारिशें	
	परिशिष्ट	
एक.	24 फरवरी, **2022** को हुई रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की बैठक का कार्यवाही सारांश	
दो.	**16** मार्च, **2022** को हुई रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की बैठक का कार्यवाही सारांश	

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की संरचना

श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री दिवेन्दु अधिकारी
3. मौलाना बदरुद्दीन अजमल
4. श्री दीपक बैज
5. श्री रमाकान्त भार्गव
6. श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर
7. श्री राजेश नारणभाई चुड़ासमा
8. श्री संजय शामराव धोत्रे
9. श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागि
10. श्री कृपानाथ मल्लाह
11. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा
12. श्री सत्यदेव पचौरी
13. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
14. डॉ. एम.के. विष्णु प्रसाद
15. श्री अरुण कुमार सागर
16. श्री एम. सेल्वराज
17. डॉ. संजीव कुमार शिंगरी
18. श्री अतुल कुमार सिंह
19. श्री प्रदीप कुमार सिंह
20. श्री उदय प्रताप सिंह
21. श्री इंद्रा हांग सुब्बा

राज्य सभा

22. श्री अयोध्या रामी रेड्डी आला
23. श्री जी.सी. चन्द्रशेखर

24. डॉ. अनिल जैन
25. श्री एम.वी. श्रेयम्स कुमार
26. श्री जयप्रकाश निषाद
27. श्री अंतियुर पी. सेल्वरासू
28. श्री अरुण सिंह
29. श्री विजय पाल सिंह तोमर
30. श्री के. वेंलेल्वना
31. रिक्त

सचिवालय

1.	श्री विनोद कुमार त्रिपाठी	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री एन.के. झा	-	निदेशक
3.	श्री कुलविन्दर सिंह	-	उप सचिव

प्राक्कथन

मैं, रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2021-22) का सभापति, समिति की ओर से प्राधिकृत किए जाने पर रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' संबंधी यह तेतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूँ।

2. समिति ने रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' की जांच की जिसे 08 फरवरी, 2022 को सभा पटल पर रखा गया। बजट दस्तावेजों, व्याख्यात्मक टिप्पणों आदि प्राप्त करने के पश्चात् समिति ने 24 फरवरी, 2022 को रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग) के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया।समिति ने दिनांक 16.03.2022 को हुई अपनी बैठक में प्रतिवेदन को विचारोपरांत स्वीकार किया।

3. समिति ने अनुदानों की मांगों की जांच के संबंध में यथा अपेक्षित विस्तृत लिखित टिप्पण और साक्ष्योपरांत सूचना अपने समक्ष प्रस्तुत करने के लिए रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग) के अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहती है।

4. संदर्भ और सुविधा के लिए समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के अंत में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;
16 मार्च , 2022
25 फाल्गुन, 1943 (शक)

कनिमोझी करुणानिधि
सभापति
रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

विषय-सूची		पृष्ठ
समिति की संरचना (2020-21)		
प्रस्तावना		
अध्याय एक	प्राक्कथन	
अध्याय दो	वर्ष 2022-23 के लिए समग्र वित्तीय परिव्यय और प्रस्तावित कार्यनिष्पादन एवं अनुमोदित आवंटन	
अध्याय तीन	वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान बजटीय आवंटन और उपयोग	
अध्याय चार	योजनावार विश्लेषण 1. पेट्रोरसायन की नई योजना (एनएसपी) 2. रसायन संवर्धन और विकास योजना (सीपीडीएस)	
अध्याय पांच	अन्य कार्यक्रम / परियोजनाएं / मुद्दे 1. केन्द्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट) 2. कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी) 3. भोपाल गैस रिसाव आपदा (बीजीडीएल) 4. देश में रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र 5. पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर)	
	टिप्पणियाँ और सिफारिशें	
	परिशिष्ट	
1.	रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2020-21) की दिनांक 24.02.2021 को आयोजित बैठक का कार्यवाही सारांश।	
2.	दिनांक 16.03.2022 को आयोजित रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2020-21) की बैठक का कार्यवाही सारांश।	-तदेव-

प्रतिवेदन

अध्याय-एक

एक. प्राक्कथन

1.1 रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरक क्षेत्रों में से एक है। भारतीय पेट्रोरसायन उद्योग की उत्पत्ति लगभग 70 साल पहले हुई थी, जिसमें कच्चे तेल के शोधन के दौरान प्राप्त प्रोपेन से कार्बनिक रासायनिक यौगिकों का पहला उत्पादन हुआ था। आजादी से पहले, यह क्षेत्र मुख्य रूप से पूर्वी भारत में केंद्रित था, लेकिन अब बेहतर बुनियादी ढांचे और बंदरगाह सुविधाओं की उपलब्धता के कारण गुजरात और महाराष्ट्र में भी इसका विस्तार हुआ है। रासायनिक उद्योग की जड़ें शुरू में पश्चिम बंगाल में थी और जूट पैकेजिंग, कपड़ा और इस्पात उद्योग के लिए कारखाने स्थापित किए गए थे। मैसर्स बंगाल केमिकल्स, कोलकाता और एफसीआई, सिंदरी स्वतंत्र भारत के पहले कारखानों में से थे। भारतीय पेट्रोरसायन क्षेत्र विकासशील चरण में है और समग्र औद्योगिक परिदृश्य में लगातार वृद्धि दर्ज कर रहा है। वर्तमान में, रसायनों की वैश्विक बिक्री के मामले में भारत विश्व स्तर पर छठे और एशिया में चौथे स्थान पर है।

1.2 रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग (डीसीपीसी) का उद्देश्य देश में रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्रों के विकास और वृद्धि को प्राप्त करने के लिए नीति और कार्यक्रमों को तैयार करना और कार्यान्वित करना और उद्योग के इस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी की भावना को बढ़ावा देना है।

विभाग के पास निम्नलिखित व्यापक विषयगत मामलों से निपटने का अधिदेश है:

I. कीटनाशी (कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) के प्रशासन को छोड़कर);
II. डाई-सामान और डाई-इंटरमीडिएट्स;
III. सभी जैविक और अजैविक रसायन किसी अन्य मंत्रालय या विभाग को विशेष रूप से आवंटित नहीं किए गए हैं;
IV. विभाग के नियंत्रणाधीन सभी उद्योगों हेतु योजना, विकास और नियंत्रण, और सहायता;
V. भोपाल गैस रिसाव आपदा-इससे संबंधित विशेष कानून;
VI. पेट्रोरसायन;
VII. गैर-सेल्यूलोसिक सिंथेटिक फाइबर (नायलॉन पॉलिएस्टर, ऐक्रेलिक आदि) के उत्पादन से संबंधित उद्योग;
VIII. सिंथेटिक रबर; और
IX. प्लास्टिक और ढाले हुए सामानों के निर्माण सहित प्लास्टिक।

1.3 विभाग के पांच प्रमुख प्रभाग हैं अर्थात् रसायन, पेट्रोरसायन, प्रशासन, सांख्यिकी और निगरानी (एस एंड एम) और आर्थिक प्रभाग। समेकित वित्त प्रभाग रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तीन विभागों के लिए साझा है।

1.4 रसायन क्षेत्र में तीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयूएस) हैं नामत हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल), एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड और हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड (एचएफएल), जो एचओसीएल की सहायक कंपनी है। इस विभाग के अंतर्गत दो स्वायत्त संस्थान नामत केन्द्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट) और कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी) कार्य करते हैं।

<u>देश में रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र</u>

1.5 समिति को यह सूचित किया गया है कि रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र में भारत की आजादी के बाद से कई गुना वृद्धि हुई है। इस क्षेत्र ने कई रासायनिक उत्पादों के संबंध में आत्मनिर्भरता हासिल की है। रसायन क्षेत्र में, डाईस्टफ और एग्रोकेमिकल्स शुद्ध निर्यातक हैं और अपने उत्पादों को दुनिया के विकसित देशों में निर्यात करते हैं। भारत के एक आबादी वाला देश होने के कारण रासायनिक उत्पाद की मांग हर साल बढ़ रही है। देश में मूल्य वर्धित उत्पादों में बदलने के लिए कुछ बुनियादी फीड स्टॉक का आयात होता है, जिससे देश में रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। आज भारत उन देशों को रसायन और पेट्रोरसायन निर्यात कर रहा है जहां से दशकों पहले इनका आयात किया जाता था।

1.6 पिछले पांच वर्षों के लिये प्रमुख रसायनों और पेट्रारससायनों के आयात और निर्यात के विवरण के संबंध में समिति को यह सूचित किया गया था कि आयात और निर्यात की प्रवृत्ति मिश्रित उत्पाद-वार प्रवृत्ति का संकेत देती है। हालाँकि समग्र रूप में वर्ष 2019-20 (कोविड के कारण) को छोड़कर पूरे आयात में साल दर साल वृद्धि हुई है। निर्यात के मामले में 2016-17 से 2018-19 तक वृद्धि का रुझान है, बाद के वर्षों (2019-20 और 2020-21) में कमी का रुझान है।

1.7 पिछले पांच वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में प्रमुख रसायनों के आयात और निर्यात का सारांशनिम्नानुसार है:

	आंकड़े '000 एमटी में				
वर्ष	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**
रसायनों का आयात	5400	5937	6379	6557	5983
रसायनों का निर्यात	1484	1496	1579	1698	1905

स्रोत: एस एंड एम डिवीजन, डीसीपीसी: - आंकड़ों में केवल एस एंड एम डिवीजन द्वारा निगरानी किए गए उत्पाद शामिल हैं

1.8 भारत में रसायनों और पेट्रोरसायनों की प्रति व्यक्ति खपत के संबंध में यह बताया गया था कि यहां अन्य विकसित देशों की तुलना में प्रति व्यक्ति खपत बहुत कम है, तो यह दर्शाता है कि आने वाले वर्षों में इस

क्षेत्र के विकास की पर्याप्त संभावनाएं हैं। चूंकि भारत रसायनों और पेट्रोरसायनों का बड़ा उपभोक्ता है, इसलिए यह अनुमान है कि आने वाले दशकों में उत्पादन और खपत में वृद्धि जारी रहेगी। पॉलीकार्बोनेट, सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलिमर, मिथाइल मेथैक्रिलेट ब्यूटाडीन स्टाइरीन, पॉलीएसेटल, मेथिलीन डिपेनिल डायसोसायनेट, एथिलीन-विनाइल एसीटेट और एथिलीन प्रोपलीन डायने मोनोमर जैसे उत्पादों के लिए घरेलू क्षमताएं नहीं हैं और ये पूरी तरह से आयात पर निर्भर उत्पाद हैं। प्रमुख रूप से कारोबार किए जाने वाले पेट्रोरसायनों में से कोई ऐसे उत्पाद नहीं है जिनके लिए घरेलू क्षमताएं पर्याप्त हो। हालाँकि पॉलीइथाइलीन, पॉलीप्रोपाइलीन जैसे उत्पाद हैं, जिनके लिए घरेलू क्षमताएं लगभग पर्याप्त हैंफिर भी इन पॉलिमर और उनके सह-पॉलिमर के विभिन्न ग्रेड हैं जो देश में निर्मित नहीं हैं, काफी मात्रा में आयात किए जा रहे हैं।

1.9 रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) की विस्तृत अनुदाना०० की मांगों (2022-23) को 8 फरवरी, 2022 को लोकसभा में प्रस्तुत की गयी थी। रसायन और पेट्रोरसायन विभाग से संबंधित मांग संख्या 5 के लिए बजट अनुमान (बीई) 209.00 करोड़ रुपए है। समिति ने वर्ष 2022-23 के लिए विभाग की विस्तृत अनुदानों की मांगों की गहनता से जांच की है। समिति की टिप्पणियों/ सिफारिशों को प्रतिवेदन के अंत में एक अलग अध्याय में दिया गया है। समिति यह आशा करती है कि विभाग विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए निधियों के समुचित और समय पर उपयोग के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए। समिति यह भी आशा करती है कि विभाग समिति की सिफारिशों पर शीघ्रता से कार्रवाई करे और इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन महीने के भीतर प्रतिवेदन में की गई टिप्पणियों/सिफारिशों पर की गई कार्रवाई संबंधी उत्तर प्रस्तुत करे।

अध्याय -दो

2022-23 के लिए समग्र वित्तीय परिव्यय और प्रस्तावित कार्यनिष्पादन एवं अनुमोदित आवंटन

2.1 विभाग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपनी विस्तृत अनुदानों की मांगों (मांग संख्या 5) को 08 फरवरी, 2022 को संसद में प्रस्तुत किया। वित्तीय वर्ष के लिए विभाग का बजट अनुमान 271.27 करोड़ रुपये है। ब्यौरे इस प्रकार हैं:

(रु करोड़ में)

व्यय शीर्ष	बजट अनुमान
राजस्व	**209.00**
पूंजी	**0.00**
कुल	**209.00**

जैसा कि उपर्युक्त से देखा जा सकता है, विभाग को वर्ष 2022-23 के लिए 209.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रमुख योजनायें हैं (i) पेट्रोरसायन की नई योजनायें (एनएसपी) और (ii) रसायन संवर्धन और विकास योजना (सीपीडीएस)।

2.2 समिति वर्ष 2022-23 के लिए प्रत्येक योजना के लिए प्रस्तावित राशि का विवरण और वास्तव में वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित राशि का विवरण जानना चाहती थी। इसके उत्तर में, मंत्रालय ने सारणीबद्ध रूप में निम्नलिखित विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की :-

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	योजनाएं/संगठन	बजट अनुमान 2022-23		कमी
		प्रस्तावित	आवंटित	
1.	**सचिवालय**	21.35	21.35	0.00
2.	**योजनाएं**			
	एनएसपी	102.27	48.50	53.77
	सीपीडीएस	6.00	3.00	3.00
	कुल	**108.27**	**51.50**	**56.77**
3.	**स्वायत्त निकाय**			
	सिपेट	101.37	100.24	1.13
	आईपीएफटी	17.20	11.50	5.70
	कुल	**118.57**	**111.74**	**6.83**
4.	बीजीएलडी	23.08	23.08	0.00

	कुल राजस्व	**271.27**	**209.00**	
5.	**सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम** (एचएफएल)			
	पूंजी	0.00	1.33	-1.33
	कुल (राजस्व + पूंजी)	**271.27**	**209.00**	**62.27**

2.3 वित्त मंत्रालय द्वारा 271.27 करोड़ रुपये के प्रस्तावित बजट अनुमान में भारी कमी करके केवल 209.00 करोड़ रुपए आबंटित किये जाने के कारणों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने यह बताया कि संशोधित अनुमान 2021-22 और बजट अनुमान 2022-23 के प्रस्तावों को विभाग द्वारा वित्त मंत्रालय के साथ नवंबर 2021 में सचिव (व्यय) के साथ आयोजित बजट पूर्व बैठक के दौरान विचार हेतु रखा गया था। इस मामले में शामिल विभिन्न मुद्दों अर्थात् विभाग द्वारा किया गया समग्र व्यय और सरकार के पास उपलब्ध समग्र संसाधनों और इसकी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए विचार-विमर्श के बाद वित्त मंत्रालय संशोधित अनुमान 2021-22 और बजट अनुमान 2022-23 के लिए प्रत्येक के लिए 209.00 करोड़ रुपये आवंटित करने पर सहमत हुआ, जो समग्र राशि के इंटरचेंज के अधीन है। विभाग ने योजनाओं/कार्यक्रमों की समीक्षा करने के बाद वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 दोनों के लिए 209 करोड़ रुपये आवंटित करने का निर्णय लिया।

2.4 तत्पश्चात्, समिति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं पर पड़ रहे प्रभाव तथा पर्याप्त निधियां प्राप्त करने के लिये प्रस्तावित/उठाए जा रहे कदमों के बारे में अवगत होना चाहती थी। इसके उत्तर में मंत्रालय ने यह कहा कि प्रस्तावित बजट की तुलना में आवंटित बजट में मुख्य कमी में 'एनएसपी' के तहत 53.77 करोड़ रुपये 'आईपीएफटी' के तहत 5.70 करोड़ रुपये; 'सीपीडीएस' के तहत 3.00 करोड़ रुपये शामिल हैं। सिपेट के तहत 1.13 करोड़ रुपये की मामूली कमी की गई है, जिससे सिपेट की योजनाओं में बड़ी बाधा आने की संभावना नहीं है।

2.5 जब वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान वास्तविक व्यय क्रमश: 365.10 करोड़ रुपये तथा 293.04 करोड़ रुपये था तब वर्ष 2022-23 हेतु 209.00 करोड़ रुपये आबंटित किये जाने संबंधी औचित्य के बारे में पूछा गया। यह उत्तर दिया गया था कि 2019-20 के दौरान, असम गैस क्रैकर प्रोजेक्ट (एजीसीपी) विभाग का हिस्सा था, जिसे बाद में 01.01.2020 से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया था। जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट आवंटन का एक बड़ा हिस्सा (संशोधित अनुमान2019-20 चरण में 185.00 करोड़ रुपये) को आवंटित किया गया था। एजीसीपी के हस्तांतरण के बाद विभाग ने बजट अनुमान 2020-21 में सिर्फ 1.00 लाख रुपये की टोकन राशि मांगी थी। इसलिए, 2020-21 के दौरान, वित्तीय वर्ष 2020-21 में 295.70 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन की तुलना में केवल 293.04 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया जा सका।

अध्याय-तीन

वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान बजटीय आबंटन और उपयोग

3.1 वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 हेतु बजट अनुमान (बीई) और संशोधित अनुमान (आरई) और वास्तविक उपयोग के संबंध में समिति को निम्नलिखित सूचना दी गई थी:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
2019-20	263.65	370.18	365.10
2020-21	218.34	295.70	293.04
2021-22	233.14	209.00	158.00 (31.12.2021की स्थिति के अनुसार)
2022-23	209.00		

यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2020-21 के लिए बजट अनुमान 218.34 करोड़ रु. था जिसे बढ़ाकर 295.70 करोड़ रुपए कर दिया गया परन्तु व्यय केवल 293.04 करोड़ रुपये था।2.76 करोड़ रुपये का उपयोग न होने का कारणों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने एक लिखित टिप्पण में बताया कि 2.76 करोड़ रुपये का उपयोग न होने का कारण मुख्य रूप से बीजीएलडी लागत केंद्र था। कोविड-19 महामारी के दौरान देशव्यापी लॉकडाउन के कारण, बीजीएलडी (भोपाल गैस रिसाव आपदा) आवंटित धनराशि खर्च नहीं कर सका और विभाग द्वारा 2.4666 करोड़ रुपये की राशि वित्त मंत्रालय को वापस कर दी गई।

3.2 यह भी देखा जा सकता है कि वर्ष 2021-22 के लिए बजट अनुमान 233.14 करोड़ रुपए था लेकिन इसे संशोधित कर 209.00 करोड़ रुपए किया गया। 31.12.2021 तक वास्तविक व्यय केवल 158.00 करोड़ रु. का हुआ। जब यह पूछा गया कि क्या मंत्रालय 31.3.2022 तक 57.00 करोड़ रुपए की शेष राशि का उपयोग करने में सक्षम है तथा 31.3.2022 तक शेष राशि को खर्च करने के लिए किये जा रहे ठोस उपायों सहित कम व्यय के क्या कारण हैं, विभाग ने यह बताया कि आर्थिक कार्य विभाग (वित्त मंत्रालय) में बजट प्रभाग ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 12(13)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2020 दिनांक 30.06.2021 के माध्यम से केंद्र सरकार में संशोधित राजकोष नियंत्रण आधारित नकद प्रबंधन प्रणाली के तहत नियंत्रण आधारित व्यय प्रबंधन पर मंत्रालयों/विभागों का दिनांक 21.08.2017 के कार्यालय ज्ञापन की ओर ध्यान आकर्षित किया था।और कहा कि व्यय नियंत्रण के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई है और इसमें कहा गया है कि कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति और सरकार की प्रत्याशित नकदी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए तिमाही (जुलाई-सितंबर, 2021) के लिए विशिष्ट मंत्रालयों/विभागों की तिमाही व्यय योजना (क्यूईपी)/मासिक व्यय योजना (एमईपी) को विनियमित करना आवश्यक समझा गया है। रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग को श्रेणी 'बी' में रखा गया था जिसका तात्पर्य यह है कि वित्त मंत्रालय द्वारा लगाई गई सीमा के कारण यह विभाग क्यूईपी/एमईपी के प्रस्ताव के अनुसार राशि का उपयोग नहीं कर सका।अर्थात, तिमाही II में बजट अनुमान 2021-22 के 20% के भीतर समग्र व्यय को सीमित किया गया था। इसके

अलावा, शेष राशि 51.00 करोड़ रुपये (209.00 करोड़ रु.-158.00 करोड़ रु.) है जिसे वित्तीय वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में खर्च किया जाना है। विभिन्न प्रभागों द्वारा प्रस्तावों को आईएफडी को अग्रेषित किया गया हैऔर सहमति के बाद, 51.00 करोड़ रुपये की शेष राशि का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा आवश्यक स्वीकृति आदेश जारी किए गए हैं।

3.3 233.14 करोड़ रुपये के बजट अनुमान के आवंटन को संशोधित अनुमान चरण में 209.00 करोड़ रुपये किये जाने के कारणों के बारे में बताने के लिए कहा गया और क्या यह कमी विभाग द्वारा किए गए बजटीय आवंटन को विवेकपूर्ण ढंग से खर्च करने में विभाग की अक्षमता का सूचक है; और यदि हां, तो उस पर क्या उपाय किए जा रहे हैं, विभाग ने यह बताया कि 233.14 करोड़ रुपये के बजट अनुमान-2021-22 को संशोधित अनुमान चरण में घटाकर 209.00 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से सिपेट की योजना और बीजीएलडी लागत केंद्र शामिल हैं। बजट अनुमान 2021-22 के दौरान सिपेट को 117.88 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी, जिसे बाद में संशोधित अनुमान 2021-22 में घटाकर 102.34 करोड़ रुपये कर दिया गया सिपेट को आवंटन में कमी के मुख्य नीचे देखे जा सकते हैं:

(i) जम्मू कश्मीर में सिपेट केंद्र की स्थापना के लिए जम्मू में भूमि आवंटित करने और परियोजना लागत का 50% का मामला अभी भी विचाराधीन है। इसलिए बजट अनुमान में अनुरोध किए गए 1.00 करोड़ रुपये की तुलना में संशोधित अनुमान 2021-22 में कोई राशि प्रस्तावित नहीं है।

(ii) कुछ सिपेट केंद्रों के लिए निर्धारित अव्ययित राशि का अन्य केंद्रों में उपयोग करने के लिए जहां धन की आवश्यकता है, "मौजूदा और नए शैक्षणिक कार्यक्रमों की अन्तर्ग्रहण क्षमता में वृद्धि करने के लिए आवासीय आवास का निर्माण'' की योजना के लिए 31.79 करोड़ रुपये की शेष राशि के पुनर्विनियोजन का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है और जल्द ही स्वीकृत होने की संभावना है। वित्तीय वर्ष 2021-22 (संशोधित अनुमान चरण) के लिए बजट अनुमान 2021-22 में 22.18 करोड़ रुपये के अनुरोध की तुलना में 16.25 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है।

(iii) सिपेट : सीएसटीएस के मुंबई से नासिक में स्थानांतरण और मूल परियोजना के अनुसार लागत भिन्नता के साथ नासिक में सिपेट केंद्र की स्थापना के लिए राज्य सरकार की वित्तीय प्रतिबद्धता की भी महाराष्ट्र सरकार की स्वीकृति प्रतीक्षित है। इस मामले के जल्द ही निपटारे की उम्मीद है। इसलिए बजट अनुमान में अनुरोध किए गए 1.00 करोड़ रुपये की तुलना में संशोधित अनुमान 2021-22 में कोई राशि प्रस्तावित नहीं है।

(iv) बेंगलुरू, पटना और वाराणसी में पीडब्लूएमसी की स्थापना के लिए भूमि की पहचान की गई और यह आवंटन की प्रक्रिया में है। अहमदाबाद में जमीन की जल्द ही पहचान होने की उम्मीद है। इसलिए, 11.60 करोड़ रुपये के बजट अनुमान की तुलना में 2021-22 के संशोधित अनुमान में केवल 3.00 करोड़ रुपये की राशि अनुमानित है।

3.4 इसके अलावा, बीजीएलडी के लिए संशोधित अनुमान 2021-22 के संशोधित अनुमान में कुल 3.53 करोड़ रुपये की कमी की गई है क्योंकि कोविड-19 के कारण, वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही की क्यूईपी सीमा में कुल बजट अनुमान आवंटन के 208 व्यय की सीमा लगाई गई थी। इसके अलावा, राज्य और भोपाल शहर में कोविड -19 की मौजूदा स्थिति के कारण दावों की प्राप्ति कम हुई।

3.5 उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह देखा जा सकता है कि यह कटौती विभाग द्वारा किए गए बजटीय आवंटन को विवेकपूर्ण ढंग से खर्च करने में विभाग की अक्षमता का संकेतक नहीं है। इसके अलावा, संबंधित कार्यक्रम प्रभाग इस संबंध में आवश्यक वित्तीय अनुमोदन ले रहा है।

3.6 समिति ने विभाग पर लगाए गए व्यय के संबंध में प्रतिबंधों और इस संबंध में विभाग की तैयारियों के बारे में जानना चाहा। इसके उत्तर में मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने इस प्रकार प्रस्तुत किया-

> " हमारे पास संशोधित अनुमान में एक बड़ा बजट है। आबंटन 233.00 करोड़ रुपए था जिसे घटाकर 209.00 करोड़ रुपए कर दिया गया। इसी प्रकार, संशोधित अनुमान 209.00 करोड़ रुपये है और अगले वर्ष में भी यह 209.00 करोड़ रुपये है। इस वर्ष, लगभग 25.00 करोड़ रुपये कम हो गए हैं। यह कोई बड़ी समस्या नहीं है क्योंकि हमारी कुछ योजनाओं को स्थगित करना पड़ा। उदाहरण के लिए, हमने जम्मू और कश्मीर में एक सिपेट केंद्र की योजना बनाई थी जहां हमें भूमि नहीं मिली थी। इसलिए, परियोजना शुरू नहीं की जा सकी। इसी तरह, महाराष्ट्र में एक सिपेट केंद्र स्थापित करने की हमारी योजना थी, जिसे शुरू नहीं किया जा सका। इसी प्रकार, तीन-चार केन्द्र होने थे, जिन्हें हम शुरू नहीं कर सके।
>
> तत्पश्चात्, हमारे पास पिछले वर्ष की शेष राशि में से कुछ राशि भी है, जिसे व्यय विभाग के अनुमोदन से पुन विनियोजित किया जाना है। इसके कारण हम इस वर्ष व्यय नहीं कर सके। इसलिए, कमी की गई थी। लेकिन हमें चीजों के प्रबंधन में किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है। अगले वर्ष के लिए हमने बजट अनुमान चरण में पेट्रोरसायन की एक नई योजना में 100 करोड़ रुपये से अधिक के बारे में पूछा है। वहां हमें राशि नहीं मिली है, इसका कारण यह है कि जिन नए प्लास्टिक पार्कों की हमने योजना बनाई थी, उन्हें व्यय विभाग द्वारा यह कहते हुए अंतत सहमति नहीं दी गई है कि प्रगति धीमी है। लेकिन हमने इस मामले को व्यय विभाग के साथ यह कहते हुए उठाया है कि 'अब प्रगति हुई है, कृपया इसे मंजूरी दें।' इसलिए, एक बार जब वे इसे मंजूरी दे देते हैं, तो हम संशोधित अनुमान चरण में अतिरिक्त 50 करोड़ रुपये की मांग करेंगे।''

अध्याय-चार

योजना-वार विश्लेषण

पेट्रोरसायनकीनईयोजना (एनएसपी)

4.1 समिति को यह सूचित किया गया है कि पेट्रोरसायन की नई योजनायें (एनएसपी) में दो उप-योजनायें (एक) प्लास्टिक पार्क (दो) उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई) है।

विगत तीन वर्षों और वर्ष 2022-23 हेतु एनएसपी के बजटीय प्रावधान इस प्रकार थे:-

(रु. करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
2019-20	31.65	31.65	31.65
2020-21	53.79	22.85	22.85
2021-22	53.73	51.13	37.63 (31.12.2021की स्थिति के अनुसार आवंटित राशि का 70%)
2022-23	48.50 (प्रस्तावित 102.73 करोड़ रुपए	-	-

4.2 यह देखा जा सकता है कि 2021-22 के दौरान बजट अनुमान के चरण में 53.73 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिसे संशोधितअनुमान के चरण में घटाकर 51.13 करोड़ रुपये कर दिया गया। हालांकि, 31.12.2021 तक केवल 37.63 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।योजना के तहत खर्च की धीमी गति के कारणों के बारे में बताने के लिए कहा गया कि क्या विभाग 31.03.2022 से पहले संपूर्ण संशोधित अनुमानआवंटन को खर्च करने में सक्षम होगा, यह कहा गया कि योजना के तहत अनुदान संबंधी खर्च करने की गति धीमी नहीं है, क्योंकि,डिवीजन ने आईएफडी द्वारा प्रदान की गई एमईपी/क्यूईपी सीमा के अनुसार दिसंबर, 2021 तक 37.54 करोड़ रुपये की राशि खर्च कर दी है। गौरतलब है कि डिवीजन ने 31.01.2022 तक 51.13 करोड़ रुपये के आवंटित संशोधित अनुमान से 42.54 करोड़ रु. खर्च कर दिए हैं और विभाग को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए संशोधित अनुमान चरण में एनएसपी के तहत आवंटित पूरी राशि का उपयोग करने की उम्मीद है।

4.3 एनएसपी हेतु उच्च बजट अनुमान (2022-23) का प्रस्ताव किये जाने संबंधी कारणों के बारे में पूछे जाने पर यह सूचित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आवंटित बजट अनुमान से बजट अनुमान में वृद्धि इस तथ्य के कारण है कि विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 तक कुल 202.50 करोड़ रु. (प्रत्येक पार्क के लिए 40 करोड़ रुपये और प्रत्येक पार्क के लिए कार्यक्रम प्रबंधक शुल्क के रूप में 2.50 करोड़ रुपये) के बजट परिव्यय पर 5 नए प्लास्टिक पार्कों को मंजूरी देने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव को पहले ही

माननीय मंत्री (सीएंडएफ) द्वारा "सैद्धांतिक" अनुमोदन दिया जा चुका है और व्यय विभाग की सहमति के अधीन वित्त संबंधी स्थायी समिति द्वारा भीअनुमोदित किया गया है।

4.4 एनएसपी के लिए 102.73 करोड़ रुपये की प्रस्तावित बजट अनुमान राशि में भारी कटौती के कारणों और प्रतिकूल प्रभावों के बारे में पूछे जाने पर समिति ने एक लिखित उत्तर में यह सूचित किया कि 102.27 करोड़ रु. के कुल प्रस्तावित निधि में से एनएसपी के तहत चल रही परियोजनाओं के लिए 66.27 करोड़ रुपये और रु. नए सीओई और नए प्लास्टिक पार्कों के लिए 36.00 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए थे। 102.27 करोड़ रुपये की अनुमानित धनराशि में से एनएसपी के तहत केवल 48.50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसलिए, यदि निधियों में कटौती की जाती है, तो यह योजना के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन और योजनाओं की निरंतरता और विस्तार को भी प्रभावित कर सकता है।

4.5 निधियों के कम आवंटन के कारण एनएसपी कैसे प्रभावित होगा के बारे में विशेष रूप से पूछे जाने पर यह बताया गया कि निधियों के कम आवंटन से चल रही परियोजनाओं के पूरा होने में देरी होगी और एनएसपी के तहत नई परियोजनाओं को मंजूरी नहीं दी जाएगी जो प्लास्टिक उद्योग के क्लस्टर विकास और उसके रोजगार सृजन की योजना के उद्देश्य को और बाधित कर सकती है।

4.6 यह पूछे जाने पर कि क्या पांच नये प्लास्टिक पार्कों के प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा सहमति दी गई है या नहीं। यह बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 202.50 करोड़ रु. केकुल बजट परिव्यय से पांच नए प्लास्टिक पार्कों को स्वीकृति प्रदान करने का विभाग के प्रस्ताव पर जिसमें प्रत्येक पार्क के लिए 40 करोड़ रु.और प्रत्येक पार्क के लिए कार्यक्रम प्रबंधक शुल्क 2.50 करोड़ रु. शामिल है, अभी भी व्यय विभाग द्वारा सहमति नहीं दी गई है।

4.7 मंत्रालय इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय के साथ कैसे और किस स्तर पर आगे बढ़ा रहा है के बारे में पूछे जाने पर यह बताया गया कि विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 202.50 करोड़ रु. के कुल बजट परिव्यय पर पांच नए प्लास्टिक पार्कों को मंजूरी देने के लिए अपने प्रस्ताव पर सहमति के लिए व्यय विभाग से अनुरोध किया है जिसमें प्रत्येक पार्क के लिए 40 करोड़ रु.और प्रत्येक पार्क के लिए कार्यक्रम प्रबंधक शुल्क पर 2.50 करोड़ रु. के विषय में निदेशक, पीएफसी-I, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय को कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से संप्रेषित किया गया है।

4.8 किस समय तक इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किए जाने की संभावना है के बारे में पूछे जाने पर यह बताया गया कि विभाग को उम्मीद है कि वित्त मंत्रालय जल्द ही अपनी सहमति प्रदान करेगा।

4.9 एनएसपी को निधियों के आबंटन के संबंध में समिति के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्रालय के प्रतिनिधि ने निम्नानुसार कहा-

" अगले वर्ष के लिए हमने बजट अनुमान चरण में पेट्रोरसायन की एक नई योजना में 100 करोड़ रुपये से अधिक मांग की है। वहां हमें राशि नहीं मिली है, इसका कारण यह है कि जिन नए प्लास्टिक पार्कों की हमने योजना बनाई थी, उन्हें अंततः व्यय विभाग द्वारा यह कहते हुए सहमति नहीं दी गई है कि प्रगति धीमी है।. लेकिन हमने इस मामले को व्यय विभाग के साथ यह कहते हुए उठाया है कि 'अब प्रगति हुई है, कृपया इसे मंजूरी दें।' इसलिए, एक बार जब वे इसे मंजूरी दे देते हैं, तो हम संशोधित अनुमान चरण में अतिरिक्त 50 करोड़ रुपये की मांग करेंगे।''

<u>वास्तविक लक्ष्य</u>

4.10 छह प्लास्टिक पार्कों का विवरण उनके स्थान और उस तारीख के साथ जब वे वास्तव में परिकल्पित/ शुरू किए गए थे, निम्नवत् हैं:

क्र.सं.	प्लास्टिक पार्क का स्थान	अंतिम स्वीकृति दिनांक	भूमि क्षेत्रफल (एकड़)	कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपये)	परियोजना के लिए स्वीकृत भारत सरकार की कुल सहायता (करोड़ रुपये)
1.	**तमोट, मध्य प्रदेश**	09.10.2013	122	108.00	40.00
2.	**पारादीप, ओडिश**	09.10.2013	120	106.78	40.00
3.	**तिनसुकिया, असम**	21.02.2014	173	93.65	40.00
4.	**बिलौआ, मध्य प्रदेश**	20.12.2018	93	68.72	34.36
5.	**देवघर, झारखंड**	20.12.2018	93	67.33	33.67
6.	**तिरुवल्लुर तमिलनाडु***	30-7-2019	257	216.92	40.00

*स्थान परिवर्तन के कारण पुनः अनुमोदन की तिथि

छह प्लास्टिक पार्कों में से प्रत्येक की वर्षवार वास्तविक और वित्तीय प्रगति का पृथक विवरण निम्नवत् है:

क्र.सं.	प्लास्टिक पार्क का स्थान	अंतिम स्वीकृति तिथि	कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपये)	परियोजना के लिए स्वीकृत भारत सरकार की कुल सहायता (करोड़ रुपये)	अब तक जारी भारत सरकार की कुल सहायता (जनवरी, 2022)	एसपीवी द्वारा सूचित भौतिक प्रगति
1.	**तमोट, मध्य प्रदेश**	09.10.2013	108.00	40.00	35.90	100%
2.	**पारादीप, ओडिशा**	09.10.2013	106.78	40.00	36.00	95%
3.	**तिनसुकिया, असम**	21.02.2014	93.65	40.00	29.00	70%

4.	**बिलौआ, मध्य प्रदेश**	20.12.2018	68.72	34.36	28.89	55%
5.	**देवघर, झारखंड**	20.12.2018	67.33	33.67	17.94	65%
6.	**तिरुवल्लुर तमिलनाडु**	30-7-2019*	216.92	40.00	22.00	90%

*स्थान परिवर्तन के कारण पुनः अनुमोदन की तिथि

छह पार्कों में से प्रत्येक की वर्षवार वित्तीय प्रगति के संबंध में समिति को निम्नवत् सूचित किया गया:-

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	**प्लास्टिक पार्क का स्थान**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
1.	**तमोट, मध्य प्रदेश**	8.00	शून्य	शून्य	16.39	6.69	0.80	3.10	शून्य	शून्य
2.	**पारादीप, ओडिशा**	8.00	शून्य	शून्य	10.22	शून्य	10.00	3.62	1.91	शून्य
3.	**तिनसुकिया, असम**	8.00	7.50	6.25	शून्य	शून्य		7.00	शून्य	शून्य
4.	**बिलौआ, मध्य प्रदेश**	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2.00	8.76	8.12	10.79
5.	**देवघर, झारखंड**	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2.00	4.73	शून्य	11.60
6.	**तिरुवल्लुर तमिलनाडु**	शून्य	शून्य	शून्य	3.89	4.11	शून्य	शून्य	शून्य	11.24

4.11 प्लास्टिक पार्कों के विकास की धीमी गति के कारणों के बारे में पूछे जाने पर समिति को निम्नवत् सूचित किया गया:-

i. **<u>तमोट, मध्य प्रदेश प्लास्टिक पार्क</u>:** पार्क की भौतिक प्रगति पूरी हो चुकी है और सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी) के कुछ उपकरणों की खरीद का कार्य प्रगति पर है।

ii. **<u>तिनसुकिया, असम प्लास्टिक पार्क</u>:** निरंतर प्रयासों के बावजूद कानून-व्यवस्था को लेकर निवेशकों के मन में धारणाओं/आशंकाओं और स्थानीय उद्यमियों की ओर से दिलचस्पी न लेने के कारण, असम प्लास्टिक पार्क की प्रगति रुकी हुई है।साथ ही क्षेत्र में लगातार बारिश और बाढ़ देरी का एक कारण है। क्षेत्र में विरोध और पिछले एक साल से महामारी की स्थिति के कारण पैदा हुई अशांति भी काम में देरी पैदा कर रही है। हालाँकि, अभी काम प्रगति पर है और प्रगति की गति भी तेज हो गई है और अच्छी संख्या में भूखंडों का आवंटन भी किया गया है।

iii. **<u>पारादीप, ओडिशा प्लास्टिक पार्क:</u>**ओडिशा प्लास्टिक पार्क की भौतिक प्रगति लगभग पूरी हो चुकी है और एसपीवी उद्योगों को भूखंड आवंटित करने के लिए सभी प्रयास कर रही है।

iv. **<u>तिरुवल्लूर, तमिलनाडु, प्लास्टिक पार्क:</u>**पहले भूमि क्षेत्र कोस्टल रेगुलेशन जोन (सीआरजेड) के अंतर्गत आता था, जिसके कारण राज्य सरकार द्वारा इसका स्थान बदलना पड़ा। नए स्थान की स्वीकृति सितंबर-2019 में दी गई थी। अब विकास कार्य निर्धारित समय के अनुसार चल रहा है और जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है।

v. **<u>बिलौआ, ग्वालियर, मध्य प्रदेश प्लास्टिक पार्क</u>:** पार्क में भौतिक बुनियादी ढांचे की प्रगति की गति कोविडके कारण प्रतिबंधों के कारण हुई देरी के बाद बढ़ी है और अब प्रस्तावित समय-सीमा के अनुरूप है और इस परियोजना के इस वित्त वर्ष 2022-23 में पूरा होने की उम्मीद है।

vi. **<u>देवघर, झारखंड प्लास्टिक पार्क</u>:** प्लास्टिक पार्क का कार्य प्रगति पर है और कोविड महामारी के कारण हुई देरी के बाद तीव्र गति से चल रहा है। भौतिक बुनियादी ढांचे का विकास इस वित्त वर्ष 2022-23 में पूरा होने की उम्मीद है।

4.12 जब यह पूछा गया कि क्या इस संबंध में मंत्रालय द्वारा कोई सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सकारात्मक परिणाम निकले हैं, विभाग ने यह उत्तर दिया कि विकास की तीव्र गति के लिए निगरानी सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदम निम्नानुसार हैं:

- विभाग प्रस्तुत प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा, समीक्षा बैठकें और क्षेत्र का दौरा आदि करके राज्य सरकार के साथ लगातार इस दिशा में प्रयास करता है। सचिव (सी एंड पीसी) की अध्यक्षता में योजना संचालन समिति (एसएससी) भी नियमित रूप से प्लास्टिक पार्कों की प्रगति की समीक्षा करती है।

- विभाग योजना दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय सहायता करता है और प्लास्टिक पार्कों की प्रगति की निगरानी भी करता है। विभाग रोड शो, इन्वेस्टर मीट, उद्योग संघों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भागीदारी आदि द्वारा अपने प्लास्टिक पार्क को आबाद करने के लिए राज्य सरकारों का मार्गदर्शन भी करता है। विभाग कुशल और तेज गति से पार्कों को आबाद करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर आदि पर प्लास्टिक के क्षेत्र में उद्योग संघों जैसे विभिन्न हितधारकों को बोर्ड में लाकर अपने सर्वोत्तम प्रयास भी कर रहा है।

- विभाग ने कच्चे माल पर छूट के लिए बीसीपीएल के साथ भी मामला उठाया और बीसीपीएल अब तिनसुकिया प्लास्टिक पार्क में स्थापित इकाइयों के लिए कच्चे माल पर कुल 1250 रुपये की छूट दे रहा है।

- विभाग ने कच्चे माल पर छूट के लिए बीसीपीएल के साथ भी मामला उठाया और बीसीपीएल अब तिनसुकिया प्लास्टिक पार्क में स्थापित इकाइयों के लिए कच्चे माल पर कुल 1250 रुपये की छूट दे रहा है।

- विभाग उद्यमियों को पट्टा किराया के आधार पर आसान भुगतान किश्तों पर प्लॉट आवंटित करने के लिए राज्य सरकार से भी संपर्क कर रहा है।

- विभाग ने एसएससी की बैठक में स्पष्ट किया है कि पार्क में प्लास्टिक के पर्याप्त घटक वाले उत्पाद की अनुमति दी जा सकती है। इससे भूखंडों के आवंटन में सकारात्मक परिणाम मिला है।

- विभाग ने दिशानिर्देशों को भी संशोधित किया है और ब्राउनफील्ड परियोजनाओं और मौजूदा प्लास्टिक रीसाइक्लिंग इकाइयों को मंजूरी देने के प्रावधान को उसमें शामिल किया है।

विभाग द्वारा बेहतर निगरानी के कारण भौतिक आधारभूत संरचना के विकास और भूखंडों के आवंटन के मामले में प्रगति की गति तेज हो गई है। लगभग सभी प्लास्टिक पार्कों ने हाल के दिनों में तेज विकास दिखाया है।

4.13 साक्ष्य के दौरान विभाग के प्रतिनिधि ने समिति को प्लास्टिक पार्कों के बारे में निम्नानुसार जानकारी दी:

" मैं उन योजनाओं की प्रस्तुति देना चाहता हूं जिनकी हम निगरानी कर रहे हैं। इसका नाम पेट्रोरसायन की नई योजनाएं हैं। इस योजना के अंतर्गत, उप-योजना प्लास्टिक पार्क है। इस योजना के अंतर्गत, इरादा यह है कि हमें अपने संसाधन विकसित करने होगें ताकि एमएसएमई जैसे डाउनस्ट्रीम उद्योगों के लिए प्ले एंड प्लग मॉडल उपलब्ध हो सके। लगभग 50 से 100 एकड़ भूमि की पहचान की गई है और हम वहां सभी बुनियादी ढांचे का विकास कर रहे हैं ताकि उद्योग आकर अपने संयंत्र लगा सकें। अब तक दस प्लास्टिक पार्कों को मंजूरी दी जा चुकी है। नौ पार्कों के लिए अंतिम अनुमोदन दे दिया गया है ..... भारत सरकार की कुल सहायता 40 करोड़ रुपये या परियोजना लागत का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, है। भूमि की लागत इसमें शामिल नहीं है ..... गोरखपुर में एक प्लास्टिक पार्क अंतिम अनुमोदन के विचाराधीन है .....

प्लास्टिक पार्कों में प्रगति के बारे में पहले भी चिंता व्यक्त की गई थी। इसलिए, हम कुछ अच्छी खबर लेकर आए हैं। ..... तमोट के लिए, शत प्रतिशत अवसंरचना तैयार है। पारादीप में भी 95 प्रतिशत अवसंरचना तैयार है। हम तिनसुकिया के बारे में धीमी प्रगति के बारे में चिंतित थे। चालू वित्त वर्ष में इनमें तेजी आई है और बिलौआ भी प्रगति कर रहा है। देवघर और तिरुवल्लुर में भी बहुत अच्छी प्रगति हुई है।

महोदया, मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं कि भूखंडों का आबंटन नहीं किया जा रहा है। यदि आप देख सकते हैं, तो पिछले वर्ष तक, केवल दो/तीन भूखंड आवंटित किए गए थे। लेकिन इस साल जनवरी तक 50 से ज्यादा प्लॉट आवंटित किए जा चुके हैं।' '

4.14 समिति ने यह कहा कि विभाग को प्लास्टिक पार्कों की स्थापना संबंधी रणनीति के बारे में पुनर्विचार करना चाहिए और इस नीति पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है। इसके उत्तर में विभाग के प्रतिनिधि ने इस प्रकार बताया:

" महोदय, इस नीति पर पुनर्विचार किया गया था। पहले कुछ कठिनाइयां थीं जैसे ब्राउनफील्ड परियोजनाओं पर इसमें विचार नहीं किया गया था और केवल ग्रीनफील्ड परियोजनाओं पर विचार किया गया था। पहले प्रवर्तक या उद्योगपति को जमीन के लिए पैसा लगाना पड़ता था। हमने पिछले साल इन चीजों में संशोधन किया है और अब हम ब्राउनफील्ड के लिए भी इन प्लास्टिक पार्कों पर विचार करेंगे। फिर, उद्यमियों को भूमि खरीदने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनकी पूंजी वहां अवरुद्ध है। हमने उद्योग के अनुरोध के अनुसार इस योजना को उदार बनाया है। अब वे पट्टे के आधार पर भूमि प्राप्त कर सकते हैं। "

4.15 समिति ने यह उल्लेख किया कि ओडिशा और असम में शुरू किए गए प्लास्टिक पार्क लंबित पड़े हुए थे और इसके क्या कारण हैं। इसके उत्तर में मंत्रालय के प्रतिनिधि ने इस प्रकार अभिसाक्ष्य दिया:

" महोदया, पारादीप, ओडिशा के संबंध में, सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी) लंबित है। चूंकि इकाइयां नहीं आ रही थीं, इसलिए राज्य सरकार, 'एसपीवी ने कुछ इकाइयों को आने देने' का निर्णय लिया। अन्यथा मशीनरी और उपकरण अप्रचलित हो जाएंगे। अत, जानबूझकर, उन्होंने सीएफसी के लिए मशीनरी और उपस्कर नहीं लगाए हैं।

4.16 तत्पश्चात् समिति ने उद्योग इकाइयों के आगे नहीं आने के सटीक कारणों को जानने की इच्छा व्यक्त की। यह निम्नानुसार सूचित किया गया था:

" दरअसल, महोदया, कोविड के कारण पिछले दो वर्षों से प्रतिबंध थे और लोग आगे नहीं आ रहे थे

4.17 तत्पश्चात्, समिति ने यह उल्लेख किया कि इन प्लास्टिक पार्कों को वर्ष 2013 में शुरू किया गया था। इसके उत्तर में मंत्रालय के प्रतिनिधि ने निम्नवत् अभिसाक्ष्य दिया:

" हां, मैं स्वीकार करता हूँ महोदया कि यह एक धीमी शुरुआत थी, लेकिन अब, हम इसे बहुत जोर-शोर से आगे बढ़ा रहे हैं, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द वे इसे पूरा करने जा रहे हैं।

4.18 तत्पश्चात्, समिति ने तिनसुकिया में प्लास्टिक पार्क के बारे में पूछताछ की, और प्रतिनिधि ने निम्नानुसार प्रस्तुत किया:

" तिनसुकिया के बारे में, लोकेशन की असुविधाजनक स्थिति के कारण इसकी प्रगति बहुत धीमी थी। अब, सचिव की अध्यक्षता में एक संचालन समिति बनाई गई है।

4.19 प्लास्टिक पार्कों के स्थानों को चुनने की प्रक्रिया के बारे में पूछे जाने पर समिति को निम्नानुसार सूचित किया गया था:

"महोदय, मूलत:, राज्य सरकार आंशिक रूप से भूमि का चयन करती है, यह कहते हुए इसकी पेशकश करती है कि 'यह वह भूमि है जिसे हम आपको दे रहे हैं।' तिनसुकिया के बारे में, यह 2014 की एक बहुत पुरानी कहानी है।

4.20 तत्पश्चात्, समिति ने यह उल्लेख किया कि प्लास्टिक पार्कों के स्थानों के संबंध में राज्य सरकारों के प्रस्ताव से सहमत होना विभाग के लिए आवश्यक नहीं है। इसके उत्तर में प्रतिनिधि ने निम्नानुसारअभिसाक्ष्य दिया:-

" आपका कहना बिल्कुल सही है, इसीलिए अब हम जितने प्लास्टिक पार्क सैंक्शन कर रहे हैं। रिसेंटली छत्तीसगढ़ में सैंक्शन किया है, यह पिछले पांच साल से पैंडिंग पड़ा था, उन्होंने हमें जो लैंड प्रपोज की, हमने एग्री नहीं किया, लास्ट में तभी एग्री किया जब हमें स्युटेबल लगा। अब हम फूंक कर कदम उठा रहे हैं। जब तक हमें सही चीज नहीं मिल जाती, इंडस्ट्री को भी हम दिखाते हैं कि यह लैंड दे रहे हैं, क्या आप इस पर लगाने को तैयार हैं? तभी हम सैंक्शन करते हैं।''

4.21 समिति ने यह उल्लेख किया कि विश्व प्लास्टिक में भारत का हिस्सा एक प्रतिशत है और भारत में प्लास्टिक की खपत 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्लास्टिक एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए समिति यह जानना चाहती थी कि प्रदूषण को कम करने और उद्योग की स्थिरता के लिए भारत में कितना प्लास्टिक पुनर्नवीनीकरण किया जा रहा है। समिति ने विभाग के लक्ष्यों और उसकी उपलब्धि के बारे में भी जानना चाहा। इसके उत्तर में विभाग के प्रतिनिधि ने इस प्रकार बताया:

" महोदय, यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। पुन, प्लास्टिक के पुनर्चक्रण का विषय पर्यावरण और वन मंत्रालय से संबंधित है। हम प्लास्टिक के प्रवर्तक हैं जबकि रीसाइक्लिंग उनके द्वारा की जाती है। यही कारण है कि, उन्होंने विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी और सभी के संबंध में एक प्रारूप अधिसूचित किया है. प्लास्टिक कचरे का पुनर्चक्रण उद्योग की जिम्मेदारी है जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी अधिसूचना के अनुसार इसका उत्पादन कर रहा है।

4.22 तत्पश्चात्, समिति ने यह देखा कि प्लास्टिक पार्क विभाग के अधिकार क्षेत्र में आते हैं लेकिन प्लास्टिक का पुनर्चक्रण उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इसके उत्तर में विभाग के प्रतिनिधि ने इस प्रकार बताया:

" हम प्लास्टिक पार्कों में भी इसे बढ़ावा दे रहे हैं। यदि कोई प्लास्टिक पार्क में एक रीसाइक्लिंग इकाई स्थापित करना चाहता है, तो यह अधिदेश के तहत है। वे इसे स्थापित कर सकते हैं। लेकिन विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी से संबंधित मुद्दे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। "

4.23 तत्पश्चात् समिति यह जानना चाहती है कि क्या विभागों और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच कोई समन्वय है। इसके उत्तर में विभाग के प्रतिनिधि ने इस प्रकार बताया:

" जी हाँ, महोदय। वे हमसे इनपुट लेते हैं। लेकिन अगर कोई प्लांट के कचरे का उपयोग करके एक रीसाइक्लिंग इकाई स्थापित करना चाहता है, तो यह हमारे अन्तर्गत आता है। "

4.24 मंत्रालय के प्रतिनिधि ने समिति को उत्कृष्टता केंद्रों के बारे में भी जानकारी दी जो एनएसपी की एक उप-योजना है जो इस प्रकार है:

"यह एनएसपी की एक और उप-योजना है जहां आप यह देख सकते हैं कि पहले 2011-16 के दौरान पांच उत्कृष्टता केंद्र थे और 2016-22 के दौरान, आठ उत्कृष्टता केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार, 2011-16 के दौरान निधि उपयोग के बारे में, 28 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया था, लेकिन 2016-22 के दौरान, 18.74 रुपये का उपयोग किया गया है। यह कम दिखा रहा है क्योंकि पहले, हम जो कुल राशि स्वीकृत कर रहे थे, वह प्रति उत्कृष्टता केन्द्र 6 करोड़ रुपये थी। अब इसे घटाकर ₹5 करोड़ कर दिया गया है। कुछ उत्कृष्टता केन्द्र प्रगति पर हैं और आने वाले वर्ष में निधियों का उपयोग किया जाएगा।

महोदया, उत्कृष्टता केन्द्र का मूल उद्देश्य पेट्रोरसायन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है। 13 उत्कृष्टता केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं। आप अगली पीढ़ी के बायोमेडिकल उपकरणों के विनिर्माण के लिए केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान की सहायता ले सकते हैं। प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक चल रहा है। व्यावसायीकरण भी हो रहा है। इसलिए, हम प्रौद्योगिकी को प्रयोगशाला से उद्योग में स्थानांतरित कर रहे हैं।

जैसा कि मैंने बताया, पहले हम प्रत्येक उत्कृष्टता केन्द्र को 6 करोड़ रुपये दे रहे थे। अब इसे घटाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया है। नि:संदेह, हमने परिणाम-उन्मुख अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित किया है।''

<u>रसायन संवर्धन और विकास योजना (सीपीडीएस)</u>

4.25 समिति को यह सूचित किया गया है कि सीपीडीएस का उद्देश्य विभिन्न संगठनों/उद्योग संघों आदि को सहायता अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करना है ताकि रसायन और पेट्रोरसयन उद्योग के संवर्धन और विकास के लिए जागरूकता पैदा करने और सूचना के प्रसार हेतु कार्यशालाएं, सेमिनार, अध्ययन आदि संचालित किए जा सकें। इस योजना का उद्देश्य रसायन और पेट्रोरसायन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रयासों को पुरस्कृत करके अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करना भी है।

4.26. अनुदान सहायता के लिए संगठनों/उद्योग संघों आदि का चयन करने के लिए मंत्रालय द्वारा अपनाए जा रहे मानदंड के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने यह सूचित किया कि विभाग द्वारा जारी सीपीडीएस दिशानिर्देशों के अनुसार, निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर चार अलग-अलग घटकों के तहत संगठनों/उद्योग संघों को सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है:

घटक I - नालेज प्रोडेक्ट का निर्माण: किसी भी सरकारी एजेंसी जैसे स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों या सरकारी शैक्षणिक संस्थानों के लिए

घटक II - ज्ञान का प्रसार: विभाग के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों और स्वायत्त निकायों/पीएसयू जैसी सरकारी एजेंसियां, रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र में कार्यरत उद्योग संघ, एक विशेष संगठन जिसने उस क्षेत्र में विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया है जिसमें प्रस्तावित कार्यक्रम आयोजित किया जाना है.

घटक III - उत्कृष्टता पुरस्कार: उत्कृष्टता पुरस्कारों के आयोजन के लिए सिपेट

घटक IV - उपर्युक्त घटकों के अंतर्गत नहीं आने वाली किसी भी गतिविधि का आयोजन: किसी भी उद्योग की सुविधा और समर्थन संबंधी उपाय, हेल्प डेस्क, सलाहकार मंच और विकास समिति की बैठकों को आयोजित करने के लिए खर्च, आदि को क्रियान्वित करने/बनाए रखने के लिए पात्र संगठन।

4.27 उन संगठनों/उद्योग संघों आदि जिन्होंने सहायता अनुदान के लिए आवेदन किया और कितने को सहायता अनुदान प्रदान किया गया, के बारे में वर्ष-वार जानकारी मांगे जाने पर विभाग ने निम्नवत उत्तर दिया:

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	आवेदन किए गए संगठन/उद्योग संघों की संख्या	संगठन/उद्योग संघों की संख्या जिन्हें अनुदान सहायता प्रदान की गई
1.	2019-20	56	8
2.	2020-21	168	4
3.	2021-22*	26	6

* 31 जनवरी, 2022 तक

4.28 राष्ट्रीय पेट्रोरसायन पुरस्कारों के बारे में पूछे जाने पर यह बताया गया कि पुरस्कार व्यक्तियों, उद्योग और शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थानों को पेट्रोरसायन और डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग में नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए दिए जाते हैं। पुरस्कारों विजेताओं और उपविजेताओं का विवरण निम्नवत दिया गया है:

क्र. सं.	**वर्ष**	**विजेता**	**उपविजेता**
1	2010-11	09	00
2	2011-12	15	10
3	2012-13	11	08
4	2013-14	17	06
5	2014-15	16	14
6	2015-16	17	14
7	2016-17	16	07
8	2017-18	07	08
9	2018-19	06	07
10	2019-20	04	09
कुल		118	83

4.29 आज की स्थिति के अनुसार लंबित आवेदनों और बैकलॉग को दूर करने हेतु उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने यह बताया कि सीपीडीएस के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों पर सीपीडीएस दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई की गई है। जिन प्रस्तावों के लिए अनुदान सहायता प्रदान किया जाना है, उन्हें निधियां जारी करने के लिए व्यय विभाग की सहमति लंबित रहने के कारण स्थगित रखा गया है। व्यय विभाग से इस मामले की जांच कराई जा रही है।

4.30 सीपीडीएस के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों और उनके परिणामी प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर विभाग के प्रतिनिधि ने यह बताया कि सीपीडीएस एक स्टैंडअलोन योजना है और इसकी कोई उप-योजना/कार्यक्रम नहीं है। यह योजना रसायन और पेट्रोरसायन उद्योग के संवर्धन और विकास के लिए जागरूकता पैदा करने और सूचना के प्रसार के लिए कार्यशालाएं, संगोष्ठियां, अध्ययन आदि का संचालन करने के लिए विभिन्न संगठनों/उद्योग संघों आदि को अनुदान सहायता प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य रसायन और पेट्रोरसायन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रयासों को पुरस्कृत करके अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करना भी है। 2020-21 के दौरान सीपीडीएस के अंतर्गत आयोजित विभिन्न सम्मेलनों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुल 9120 व्यावसायिक आगंतुकों, हितधारकों, किसानों आदि ने भाग लिया। 2021-22 के दौरान, लगभग 2000 प्रतिभागियों ने अब तक इस योजना के अंतर्गत आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया है।

4.31 अनुदान सहायता के लिए प्राप्त और अस्वीकार किए गए आवेदनों के संबंध में समिति ने नोट किया कि वर्ष 2019-20 के दौरान, सीपीडीएस के अंतर्गत अनुदान सहायता के लिए 56 संगठनों ने आवेदन किया था, लेकिन केवल 8 संगठनों को अनुदान प्रदान किया गया था। इसी तरह 2020-21 के दौरान 168 ने आवेदन किया लेकिन केवल 4 को अनुदान प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त, 2021-22 के दौरान, 26 ने आवेदन किया, लेकिन केवल 6 को अनुदान प्रदान किया गया। अतः, समिति ने आवेदनों को अस्वीकार करने के कारणों को जानना चाहा। इसके उत्तर में मंत्रालय के प्रतिनिधि ने निम्नवत अभिसाक्ष्य दिया:

"सीपीडीएस के लिए आवेदनों को अस्वीकार करने के संबंध में, कुछ दिशानिर्देश हैं। यदि कोई आवेदन कर रहा है और मानदंडों को पूरा नहीं कर रहा है, तो उसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक फर्म या एक कंपनी, जो पंजीकृत नहीं है, जिसके प्रत्यय प्रत्र (क्रेडेंशियल्स) स्थापित नहीं हैं, वह भी आवेदन कर सकता है। यही कारण है कि यदि वे इस योजना के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं, तो उन्हें अस्वीकार करना होगा.....

4.32 यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में प्राप्त प्रस्ताव सीपीडीएस के उद्देश्यों के अनुरूप हैं, सीपीडीएस के उद्देश्यों के बारे में संगठन/संघों को जागरूक करने के लिए उठाए गए कदमों, यदि कोई हो, के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने यह बताया कि योजना के दिशा-निर्देश विभाग की वेबसाइट पर सार्वजनिक क्षेत्राधिकार में उपलब्ध हैं। वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले मुख्य उद्योग संघों/संगठनों से अनुरोध किया जाता है कि वे वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यक्रमों का कैलेंडर प्रस्तुत करें। योजना के उद्देश्यों के अनुरूप पाए गए प्रस्तावों को वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सीपीडीएस दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

4.33 सीपीडीएस के विगत तीन वर्षों के परिव्यय और वित्तीय उपलब्धियों के बारे में पूछे जाने पर समिति को निम्नानुसार बताया गया:

योजना	वर्ष	परिव्यय (करोड़ ₹ में)		
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
रसायन संवर्धन और विकास योजना (सीपीडीएस)	2019-20	3.00	3.00	2.93
	2020-21	3.50	2.80	2.80
	2021-22	3.00	3.60	1.76 (31 दिसंबर 2021 तक)
	2022-23	3.00 (प्रस्तावित राशि ₹ 6.0 करोड़		

		थी)		

4.34 सीपीडीएस के लिए बजट अनुमान और संशोधित अनुमान (2019-20) 3.00 करोड़ रुपये था, हालांकि, बजट अनुमान (2020-21) को संशोधित करके 3.50 करोड़ रुपये कर दिया गया और फिर बाद में 2.80 करोड़ रुपये कम कर दिया गया, लेकिन 2021-22 के लिए 3.00 करोड़ रुपये का एक उच्च बजट अनुमान निर्धारित किया गया और संशोधित अनुमान चरण में 3.60 करोड़ रुपये तक संशोधित किया गया और 31.12.202 तक वास्तविक व्यय केवल 48.8% था। हालांकि, 3.60 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान 2021-22 की तुलना में बजट अनुमान (2022-23) को घटाकर 3.00 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके कारण पूछे जाने पर और यह भी पूछे जाने पर कि क्या विभाग चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 3.60 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान के शेष 52% का उपयोग करने में सक्षम होगा। विभाग ने यह बताया कि 2019-20 के दौरान प्राप्त प्रस्तावों की प्रवृत्ति को देखते हुए, योजना के लिए बजट को 2020-21 के दौरान संशोधित कर 3.50 करोड़ रुपये कर दिया गया। हालांकि, कोविड - 19 और सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की पृष्ठभूमि में, उद्योग संघों और संगठनों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इसे ध्यान में रखते हुए, बजट को संशोधित अनुमान 2020-21 के दौरान घटाकर 2.80 करोड़ रुपये कर दिया गया। इस प्रवृत्ति के बाद, बजट अनुमान 2021-22 के दौरान 3.00 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था। चूंकि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अधिक प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, इसलिए संशोधित अनुमान, 2021-22 के दौरान राशि को बढ़ाकर 3.60 करोड़ रुपये कर दिया गया था। 10 फरवरी, 2022 तक 1.76 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। 1.83 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं।

4.35 सीपीडीएस के लिए प्रस्तावित बजट अनुमान 2022-23 के लिए 6.00 करोड़ रुपये था, लेकिन केवल 3.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह पूछे जाने पर कि निधियों के आवंटन में भारी कमी के कारण सीपीडीएस कैसे प्रभावित होगा और क्या मंत्रालय ने इस मामले को वित्त मंत्रालय के साथ उठाया है। विभाग ने यह बताया कि 2020-21 और 2021-22 के दौरान प्राप्त प्रस्ताव की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, यह आशा की जाती है कि 2022-23 के दौरान अधिक संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होंगे। इसलिए, 2022-23 के लिए 6.00 करोड़ रुपये की अधिक राशि की मांग की गई थी। हालांकि, 3.00 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि व्यय विभाग (डीओई) ने इस योजना को अपने वर्तमान स्वरूप में जारी रखने के लिए सहमति नहीं दी है। तत्पश्चात्, इस विभाग द्वारा 5 वर्ष की अवधि में 57.60 करोड़ रुपए के बढ़े हुए बजट परिव्यय के साथ डीओई को ''रसायनों के संवर्धन और विकास के लिए नई योजना'' का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। "रसायनों के संवर्धन और विकास के लिए नई योजना" के लिए व्यय विभाग की मंजूरी अभी भी प्रतीक्षित है।

<u>भौतिक लक्ष्य</u>

4.36 समिति को यह सूचित किया गया था कि वर्ष 2020-21 के दौरान भारतीय रसायन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 15 कार्यशालाओं/सेमिनारों/सम्मेलनों का आयोजन करने के लक्ष्य की तुलना में 27 कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी प्रकार वर्ष 2021-22 के लिए 19 कार्यशालाओं के आयोजन के लक्ष्य की तुलना में 31.12.2021 तक 21 का आयोजन किया गया है। इस प्रकार वर्ष 2020-21 के लिए 180% और वर्ष 2021-22 के लिए 152% लक्ष्य प्राप्त किए जा चुके हैं। कृपया यह बताएं कि विभाग संबंधित वर्षों के लिए आबंटित संशोधित अनुमान में इसे कैसे प्राप्त करने में सक्षम रहा है? कृपया विस्तार से बताएं। मंत्रालय ने यह बताया कि 2020-21 के लिए 15 कार्यशालाओं/सेमिनारों/सम्मेलनों के आयोजन का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि, एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड से कीटनाशकों के सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग पर किसानों के लिए 23 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। देश में विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण आयोजित किए गए थे। प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम को ₹5.00 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। इस प्रकार, 2020-21 के दौरान 15 कार्यक्रमों के लक्ष्य की तुलना में 27 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी प्रकार, 2021-22 के दौरान एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड ने 14 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है और सिपेट ने एमएसएमई इकाइयों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (पीडब्ल्यूएम) नियम, 2021 संशोधन के कार्यान्वयन पर 10 कार्यशालाओं का आयोजन किया है। इस प्रकार 19 कार्यक्रमों के लक्ष्य की तुलना में अब तक कुल 30 कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं।

4.37 समिति को यह भी सूचित किया गया कि सीपीडीएस को जारी रखने पर वित्त मंत्रालय (एमओएफ) द्वारा विचार किया गया है और उन्होंने या तो इस योजना को किसी अन्य योजना के साथ विलय करने या इसे किसी अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत लाने की सलाह दी है। विभाग ने वित्त मंत्रालय के सुझावों पर विचार किया है और तदनुसार, योजना के पुनर्गठन के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। 5 वर्षों (2021-22 से 2025-26) के लिए 57.60 करोड़ रुपये के प्रस्तावित परिव्यय के साथ संशोधित योजना अर्थात "रसायनों के संवर्धन और विकास के लिए नई योजना" उनके 'सैद्धांतिक' अनुमोदन के लिए वित्त मंत्रालय को पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है।

4.38 सीपीडीएस के पुनर्गठन के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति के बारे में यह बताया गया कि व्यय विभाग के "सैद्धांतिक" अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

4.39 रसायनों के संवर्धन और विकास के लिए नई योजना की मुख्य विशेषताएं और इसके घटकों और पांच वर्षों (वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26) के लिए 57.60 करोड़ रुपये के प्रस्तावित बजट को उन घटकों के लिए किस प्रकार से खर्च किए जाने की संभावना है के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने यह बताया कि इस योजना का उद्देश्य रसायन और पेट्रोरसायन उद्योग के संवर्धन और विकास के लिए सूचना के प्रसार और जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, अध्ययनों आदि का आयोजन करने के लिए विभिन्न संगठनों/उद्योग संघों आदि को अनुदान सहायता के रूप में समर्थन प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य रसायन और पेट्रोरसायन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रयास प्रदान करके अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करना भी है। प्रस्तावित योजना में चार घटक होंगे अर्थात् (i) ज्ञान उत्पादों का सृजन, (ii) ज्ञान प्रसार, (iii) उत्कृष्टता पुरस्कार, (iii) उपर्युक्त घटकों के अंतर्गत नहीं आने वाली किसी भी गतिविधि का आयोजन।

4.40 चार घटकों के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तावित व्यय निम्नानुसार है:

घटक	**कार्यक्रम का स्वरूप**	**राशि (करोड़ ₹ में)**
ज्ञान उत्पादों का निर्माण और ज्ञान प्रसार	संगोष्ठी / सम्मेलन / प्रशिक्षण / अध्ययन	4.50
	ऐसे मॉलिक्यूल्स के खतरे के आकलन और जोखिम लक्षण वर्णन के लिए डेटा उत्पन्न करने के लिए, जिनका पेटेंट होना है।	4.00
रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र में उत्कृष्टता पुरस्कार	राष्ट्रीय पेट्रोरसायन पुरस्कार	1.10
	राष्ट्रीय रसायन पुरस्कार	0.50
उपर्युक्त घटकों के अंतर्गत न आने वाली किसी भी गतिविधि को आयोजित करना	रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास	0.50
कुल		**10.60**

4.41 अगले 5 वर्षों के लिए नई योजना के लिए प्रस्तावित बजट परिव्यय निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**वित्तीय वर्ष**	**प्रस्तावित परिव्यय (करोड़ ₹ में)**
1	2021-22	10.60
2	2022-23	11.00
3	2023-24	11.50
4	2024-25	12.00
5	2025-26	12.50
कुल		**57.60**

4.42 इस मुद्दे को विस्तार से बताते हुए विभाग के प्रतिनिधि ने समिति के समक्ष साक्ष्य में निम्नवत अभिसाक्ष्य दिया:

"एक अन्य योजना संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों आदि के आयोजन के लिए उद्योग संघ को अनुदान सहायता और प्रतीक चिन्ह (लोगो) समर्थन प्रदान करके भारतीय रसायन और पेट्रोरसायन उद्योग के संवर्धन और विकास के लिए रसायन संवर्धन और विकास योजना है। हम इंडिया

केम को प्रायोजित कर रहे हैं। हम राष्ट्रीय पेट्रोरसायन पुरस्कार प्रायोजित कर रहे हैं। हम ज्ञान सृजन और अन्य संवर्धनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं जैसे कि अध्ययन आयोजित करना, प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों आदि का आयोजन करना। हम सीपीडीएस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय पेट्रोरसायन पुरस्कार दे रहे हैं। यह पेट्रोरसायन और डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग में नवाचारों के प्रोत्साहन के लिए है और पुरस्कार व्यक्तियों, उद्योग, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को दिए जाते हैं। ये व्यक्तियों या वैज्ञानिकों के एक समूह को भी दिए जाते हैं जो नई तकनीक या नवाचार विकसित कर रहे हैं। अब तक, पुरस्कारों के 10 संस्करण दिए गए हैं और अंतिम पुरस्कार 2021 में दिया गया था; वर्ष 2019-20 में 4 विजेता और 9 धावक थे।''

4.43 समिति ने यह उल्लेख किया कि पुरस्कारों की संख्या 17 से घटकर 4 हो गई है। इसके उत्तर में मंत्रालय के प्रतिनिधि ने निम्नवत बताया:-

"वास्तव में, प्रक्रिया बहुत कठोर है महोदया। जब तक नवाचार नहीं होता या उद्योग को लाभ नहीं मिल रहा होता, तब तक केवल एक अवधारणा के लिए, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं।''

4.44 विशेष रूप से वर्ष-दर-वर्ष पुरस्कारों की घटती संख्या के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय के प्रतिनिधि ने निम्नलिखित बताया:

"महोदया, एक विशेषज्ञ समिति है। जब तक वे सिफारिश नहीं करते हैं अथवा जब तक उन्हें नहीं लगता है कि कुछ नवाचार हो रहा है अथवा उद्योग के लिए कुछ उपयोगिता है, तब तक वे सिफारिश नहीं करते हैं। जिस किसी को भी प्राप्त हो रहा है, वे वास्तव में बहुमूल्य हैं।

4.45 तत्पश्चात्, समिति ने यह जानना चाहा कि क्या देश में नवाचार में कमी आई है। इसके उत्तर में मंत्रालय के प्रतिनिधि ने निम्नवत उत्तर दिया:

"महोदया, हम इसे एक अलग तरीके से देख रहे हैं इसलिए हम इस योजना को अधिक से अधिक लोकप्रिय बना रहे हैं ताकि जो लोग जागरूक नहीं हैं, वे आगे आएं और अपना नवाचार प्रस्तुत करें। हम उस पर काम कर रहे हैं। इस बार हमने कागजों का विज्ञापन दिया है। अब, हम और अधिक नवाचार प्राप्त करने की आशा कर रहे हैं।"

अध्याय पांच

अन्य कार्यक्रम/परियोजनाएं/मुद्दे

केन्द्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट)

5.1 समिति को यह सूचित किया गया था कि यूएनडीपी की सहायता से चेन्नई में 1968 में स्थापित सिपेट एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है जो प्लास्टिक के सभी क्षेत्रों में कौशल विकास, प्रौद्योगिकी सहायता सेवाओं, शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास (स्टार) के लिए पूरी तरह से समर्पित है।

5.2 वर्ष 2020-21 के दौरान, 13,494 छात्रों को दीर्घकालिक कार्यक्रमों सिपेट के माध्यम से नामांकित किया गया था, जिसमें हाई-एंड यूजी और पीजी कार्यक्रमों के 2,334 छात्र और पारंपरिक डिप्लोमा कार्यक्रमों के माध्यम से 11,160 छात्र शामिल थे। जहां तक अल्पकालिक/टेलर मेड प्रायोजित/इन-प्लांट प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संबंध है, वर्ष 2020-21 के दौरान 29,465 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। वर्ष 2020-21 के दौरान, 42,959 प्रतिभागियों को दीर्घकालिक और अल्पकालिक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित और लाभान्वित किया गया।

5.3 उपर्युक्त कार्यक्रमों में से प्रत्येक के अंतर्गत सिपेट द्वारा कितने छात्रों का मूल्यांकन और उन्हें सफल घोषित किया गया और प्रत्येक कार्यक्रम के अंतर्गत सिपेट द्वारा नामांकित और सफल घोषित छात्रों की संख्या के बीच का अंतर और क्या दोनों के बीच का अंतर बहुत अधिक है के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने निम्नानुसार उत्तर दिया:

क्र. सं.	विवरण	नामांकित अभ्यर्थियों की संख्या	मूल्यांकन किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	सफल घोषित अभ्यर्थियों की संख्या
1	दीर्घावधिक पाठ्यक्रम (एलटीसी)	13494 (सभी वर्ष)	4390 (केवल अंतिम वर्ष)	3672
2.	अल्पकालिक पाठ्यक्रम (एसटीसी)	29622	29524	29465

मूल्यांकन किये गये अभ्यर्थियों और सफल घोषित अभ्यर्थियों की संख्या के बीच अंतर बहुत अधिक नहीं है।

5.4 यह पूछे जाने पर कि सिपेट के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कितने प्रतिभागियों को अपने प्रशिक्षण के आधार पर रोजगार का अवसर मिला या स्वरोजगार प्राप्त हुआ और उपर्युक्त कार्यक्रमों में से प्रत्येक के लिए पिछले तीन वर्षों का विवरण क्या है। समिति को निम्नानुसार निम्नवत बताया गया:-

i) कौशल विकास (एसटीसी) के लिए:

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	प्लेसमेंट से जुड़े कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसडीटीपी) में रोजगार पाने वाले छात्रों की संख्या
1	2018-19	20994
2.	2019-20	14417
3.	2020-21	1886

ii) शिक्षाविदों (एलटीसी) के लिए:

शैक्षणिक वर्ष	प्रशिक्षित प्रतिभागियों/छात्रों की संख्या (केवल अंतिम वर्ष)	रोजगार पाने वाले प्रतिभागियों/छात्रों की संख्या
2018-19	5095	4285
2019-20	4390	3859
2020-21	4381	4002

5.5 यह पूछे जाने पर कि क्या अल्पकालिक, कौशल सह-प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यक्रम रोजगारोन्मुखी हैं। इस संबंध में यह उत्तर दिया गया कि बेरोजगार युवाओं के लाभ के लिए सिपेट केंद्रों में अल्पकालिक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा होने पर उन्हें बेहतर पारिश्रमिक के साथ देश भर में प्लास्टिक और संबद्ध उद्योगों में लाभप्रद रोजगार मिल रहा है। सिपेट केंद्रों पर संचालित व्यावहारिक उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रमों को उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की इस क्षेत्र में भारी मांग और आवश्यकता है।

<u>सिपेट के बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय निम्नानुसार बताया गया:</u>

(करोड़ ₹ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
2019-2020	80.00	81.50	81.50
2020-2021	98.25	146.30	146.30
2021-2022	117.88	102.34	81.70
2022-2023	100.24 (प्रस्तावित ₹ 101.37)	-	-

5.6 समिति को यह बताया गया कि कोविड-19 महामारी के कारण इसकी स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उसके एकमुश्त अनुदान-सहायता-सामान्य के रूप में सिपेट को 50.00 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे। सिपेट को बजट अनुमान 2020-21 में ₹ 98.25 करोड़ आवंटित किए गए थे, हालांकि, कोविड -19 के लिए देश में लॉकडाउन के कारण, संस्थान अपनी विभिन्न गतिविधियों जैसे नियमित पाठ्यक्रमों आदि को जारी नहीं रख सका और राजस्व का नुकसान हुआ। इसलिए, संस्थान ने सरकार से 144.00 करोड़ रुपये के एकमुश्त अनुदान की मांग की। वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान 2020-21 में 50.00 करोड़ रुपये की राशि पर सहमति व्यक्त की गई थी, जो विभाग को 295.70 करोड़ रुपये की समग्र संशोधित अनुमान सीमा के अधीन था। तदनुसार, सिपेट के लिए समग्र आवंटन को संशोधित अनुमान 2020-21 पर बढ़ाकर 146.30 करोड़ रुपये किया गया।

5.7 लॉकडाउन के कारण सिपेट को हुए नुकसान और क्या सिपेट द्वारा ऑन-लाइन कक्षाएं शुरू नहीं की गई थीं और विभिन्न राज्यों में वर्तमान स्थिति क्या है के बारे में पूछे जाने पर यह बताया गया कि कोविड-19 महामारी के अचानक फैलने के कारण, भारत सरकार ने पूरे देश में पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया था, जिसने मार्च 2020 के महीने में और फिर अप्रैल, 2021 में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण सिपेट की पूरी गतिविधि को रोक दिया।

सिपेट द्वारा हुई वित्तीय हानि निम्नवत हैं:

(करोड़ ₹ में)

क्र.सं.	**कार्यक्षेत्र**	**आय**	**आय**	**कमी**	
		(2018-19)	**(2019-20)**	**राशि**	**%**
क.	शैक्षिक गतिविधियाँ	63.75	63.35	0.40	1%
ख.	तकनीकी कार्यक्रम [प्रायोजित]	119.66	95.30	24.36	20%
ग.	तकनीकी सहायता सेवाएँ	113.92	116.73	-	
घ.	अन्य आय	19.63	18.32	1.31	7%
	कुल	**316.96**	**293.70**	**26.07**	**28%**
ङ.	जीआईए गैर-योजना	16.94	10.29		
	कुल	**333.90**	**303.99**		

(करोड़ ₹ में)

क्र.सं.	कार्यक्षेत्र	आय	आय	कमी	
		2019-20	2020-21	राशि	%
क.	शैक्षिक गतिविधियाँ	63.35	50.46	**12.89**	**2%**
ख.	तकनीकी कार्यक्रम [प्रायोजित]	95.30	29.16	**66.14**	**21%**
ग.	तकनीकी सहायता सेवाएँ	116.73	118.61	**-**	**-**
घ.	अन्य आय	18.32	14.19	**4.13**	**1%**
	कुल	**293.70**	**212.42**	**81.28**	**24%**
ङ.	जीआईए गैर-योजना	10.29	59.68		
	कुल	**303.99**	**272.10**		

शैक्षणिक

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	वास्तविक लक्ष्य	संशोधित वास्तविक लक्ष्य	उपलब्धि
1.	2019-20	80000	63000	63162
2.	2020-21	80000	45000	42959
3.	2021-22 (जनवरी, 2022 तक)	70000	50115	35469

5.8 समिति को यह सूचित किया गया था कि सिपेट केंद्रों पर आयोजित कार्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों/छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित की गई। सिपेट केंद्र स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य कर रहे थे। हालांकि, अधिकांश सिपेट केन्द्रों पर लॉक डाउन अवधि के दौरान ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई थी, जिसके दौरान ऑनलाइन सत्र आयोजित किया गया था।

5.9 सामान्य स्थिति की बहाली पर, और संबंधित जिला प्रशासन के निर्देशों के अनुसार, सभी सिपेट केंद्रों ने भौतिक/ऑफलाइन मोड के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया था।

सिपेट में अनुसंधान एवं विकास

5.10 समिति को यह बताया गया है कि सिपेट के तीन सुस्थापित अनुसंधान एवं विकास स्कंध अर्थात् (i) चेन्नई में एडवांस्ड रिसर्च स्कूल फॉर टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट सिमुलेशन (एआरएसटीपीएस) और (ii)

भुवनेश्वर में लैबोरेटरी फॉर एडवांस्ड रिसर्च इन पॉलिमरिक मैटेरियल्स (एलएआरपीएम) और (iii) बेंगलुरु में एडवांस्ड पॉलिमर डिजाइन एंड डेवलपमेंट रिसर्च लैबोरेटरी (एपीडीडीआरएल) उद्योगों के लिए अनुप्रयुक्त अनुसंधान में लगातार योगदान दे रहे हैं।

5.11 वर्ष 2019-20 के दौरान, अनुसंधान एवं विकास स्कंध ने 36 अनुसंधान एवं विकास स्कंध परियोजनाएं शुरू की हैं। उच्च प्रभाव कारक पीयर-समीक्षा वाली वैज्ञानिक पत्रिकाओं में 34 शोध पत्र प्रकाशित किए और 5 पेटेंट दायर किए। साथ ही, एसएआरपी ने उद्योगों के लिए 11 प्रौद्योगिकियों को सफलतापूर्वक हस्तांतरित किया है। शोध विचारों को एसएआरपी टीम द्वारा विभिन्न पुस्तकों/पुस्तक अध्यायों में अनुवादित किया गया है। पॉलिमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा ऐसे 70 शोध संबंधी लेख प्रकाशित किए गए हैं।

5.12 सिपेट की अखिल भारतीय उपस्थिति के बावजूद अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं, शोध प्रकाशनों, प्रस्तुत किये गये पत्रों, दायर किए गए पेटेंटों और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की संख्या कम होने के कारणों और सिपेट द्वारा इस संबंध में उठाए जा रहे/उठाए जाने वाले कदमों के बारे में पूछा गया। यह उत्तर दिया गया कि भले ही देश भर में 45 सिपेट केंद्र मौजूद हैं, लेकिन केवल भुवनेश्वर, बेंगलुरु और चेन्नई में 3 केंद्रों में अनुसंधान और विकास कार्य करने के लिए प्रमुख अधिकार है। आईपीटी में सक्रिय रूप से अनुसंधान करने और भारत और विदेशों में सिपेट और प्रतिष्ठित संस्थानों के बीच सहयोगात्मक अनुसंधान कार्य को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। आईपीटी में योग्य कर्मचारियों को उनकी विशेषज्ञता और व्यावहारिक अनुभव के आधार अनुप्रयुक्त अनुसंधान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

<u>प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र (पीडब्ल्यूएमसी)</u>

5.13 समिति ने यह जानना चाहा कि क्या प्रत्येक राज्य में कम से कम एक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है, इस संबंध में यह बताया गया कि वर्तमान में, भारत सरकार ने 04 स्थानों अर्थात अहमदाबाद (गुजरात), पटना (बिहार), वाराणसी (उत्तर प्रदेश) और बेंगलुरु (कर्णाटक) में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केन्द्र (पीडब्ल्यूएमसी) की स्थापना को मंजूरी दी है।

5.14 वाराणसी, अहमदाबाद, बेंगलुरु और पटना में स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित पीडब्ल्यूसी के भूमि आवंटन में देरी के कारणों के बारे में पूछे जाने पर यह बताया गया कि पीडब्ल्यूएमसी की स्थापना के लिए सिपेट को भूमि के आबंटन में विलंब के कारण राज्य सरकार के साथ निम्नलिखित मुद्दे हैं

गुजरात (अहमदाबाद):

- ❖ अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) ने अहमदाबाद में भूमि की बहुत अधिक बाजार दर के कारण अहमदाबाद में भूमि और बुनियादी ढांचे को आवंटित करने में अपनी बाधाओं को व्यक्त

किया। इसके अतिरिक्त, उनकी रुचि सिपेट द्वारा प्रस्तावित 10 टन अपशिष्ट पुनर्चक्रण वाले संयंत्र के बजाय प्रति दिन 1000 टन ठोस अपशिष्ट पुनर्चक्रण वाले संयंत्र में हैं।

बिहार (पटना)

- पटना नगर निगम (पीएमसी) ने भूमि और परिसर को सिपेट को सौंपने में अपनी कठिनाई से अवगत कराया क्योंकि वे बड़े हितधारक हैं और उन्होंने बताया कि प्रस्तावित पीएमडब्ल्यूसी का स्वामित्व उनके पास होना चाहिए।
- पीएमसी ने संशोधित मसौदा समझौता ज्ञापन प्रस्तुत करने का भी सुझाव दिया जिसमें अनेक बिंदुओं, जैसे पीएमसी को पीडब्लूएमसी का स्वामित्व देने; सिपेट द्वारा चलाए जा रहे प्रारंभिक परीक्षण सह उत्पादन के बाद केंद्र को पीएमसी को सौंपने; सिपेट द्वारा केवल प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में सहायता देने और संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी पीएमसी द्वारा लेने; रॉयल्टी को सिपेट और पीएमसी के बीच समान भागीदारी के आधार पर साझा करने की बातों को शामिल करने कहा।
- उपर्युक्त सिपेट/डीसीपीसी द्वारा स्वीकृति के लिए पूरी तरह से व्यवहार्य नहीं था और इसलिए, पीएमसी को यह बताया गया था कि भूमि सिपेट को पट्टे पर दी जा सकती है और स्वामित्व पीएमसी के पास रह सकता है, हालांकि, सिपेट के पास संचालन और रखरखाव का अधिकार होगा।
- लेकिन, पीएमसी ने भूमि की कमी, भूमि का किराया, पीएमसी की ओर से निवेश सीमा, राजस्व बंटवारा, पीएमसी के संचालन के लिए बाहरी उद्योग भागीदार का चयन आदि जैसे अतिरिक्त मुद्दे उठाए।
- एसओपी और प्रस्ताव में संशोधनों के संबंध में औपचारिक संवाद आगे होने की उम्मीद है।

उत्तर प्रदेश (वाराणसी)

- प्रारंभ में, अपर मुख्य सचिव, हथकरघा और वस्त्र विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 17.11.2021 के पत्र के माध्यम से वाराणसी में पीडब्ल्यूएमसी की स्थापना के लिए सिपेट से सटे 2.2 एकड़ भूमि को सौंपने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी को निर्देश दिया है।
- हालांकि, वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट और श्रम आयुक्त के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए, यह बताया गया कि कथित 2.2 एकड़ के भूखंड सहित 12.22 एकड़ भूमि पहले ही हथकरघा और वस्त्र विभाग से श्रम विभाग को अटल आवासीय विद्यालय के निर्माण के लिए हस्तांतरित की जा चुकी है।

- ❖ जब उपरोक्त मामले को दिनांक 10.12.2021 के पत्र के माध्यम से अपर मुख्य सचिव के साथ उठाया गया और उनके साथ हुई चर्चा के बाद, सिपेट को सूचित किया गया था कि 12.22 एकड़ भूमि से 2.2 एकड़ भूमि सिपेट को सौंपने का विषय पहले ही कैबिनेट को अनुमोदन के लिए जा चुका है।

- ❖ इसलिए, 2.2 एकड़ भूमि सिपेट को शीघ्र ही हस्तांतरित होने की उम्मीद है।

कर्नाटक (बेंगलुरु)

- ❖ प्रारंभ में, बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) ने सिपेट के लिए कुछ भूमि की पहचान की और उसी का दौरा किया गया था और सिपेट द्वारा इसकी सहमति दी गई थी। इसके बाद इस संबंध में बीबीएमपी से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई।

- ❖ मुख्य आयुक्त और अन्य वरिष्ठ बीबीएमपी अधिकारियों के कार्यालय के साथ निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई के बाद, संयुक्त आयोग ने बताया कि कर्नाटक सरकार के पास निर्धारित भूमि के लिए वैकल्पिक योजनाएँ हैं और यह सूचित किया कि 5 एकड़ भूमि चिन्हित स्थल पर उपलब्ध नहीं है और गुड्डनहल्ली में एक अन्य स्थान का सुझाव दिया लेकिन यह एक गैर-समान खदान वाली भूमि थी और इसलिए पीडब्लूएमसी केंद्र के लिए भूमि की अनुपयुक्तता से उन्हें अवगत कराया गया।

- ❖ इसके अलावा, बीबीएमपी ने "बिदादी" में एक स्थल के बारे में बताया है और उसी का दौरा करने की सलाह दी है और स्थल के दौरे की तारीख तय करने के लिए सिपेट कार्यकारी अभियंता बीबीएमपी के साथ संवाद कर रहे हैं और अब तक राज्य सरकार की ओर से इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है।

5.15 पीडब्ल्यूएमसी की स्थापना की परियोजना 2020-21 से लंबित है और संबंधित राज्य सरकारों की ओर से इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है।

5.16 चूंकि इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है, इसलिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) को संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया था और एसओपी में संशोधन प्रक्रियाधीन है। संशोधित एसओपी लागू होने के बाद इस मामले पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

<u>कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी)</u>

5.17 समिति को यह बताया गया है कि आईपीएफटी रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। संस्थान सुरक्षित, कुशल और पर्यावरण के अनुकूल कीटनाशक सूत्रीकरण के विकास की दिशा में काम कर रहा है। यह प्रभाग बहुत ही मामूली लागत पर नए सूत्रीकरण विकसित करने के लिए एमएसएमई, स्टार्ट-अप, लघु और मध्यम स्तर के उद्योगों और अन्य की

सहायता करता है, आईपीएफटी कृषि रसायन उद्योगों की सहायता करता है और अपने अनुसंधान और विकास बायोएसे अध्ययनों के माध्यम से नए सूत्रीकरण के विकास और मूल्यांकन के लिए उद्योगों को बहुत ही मामूली लागत पर सहायता भी करता है। किसान, और विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति जो सीधे कीटनाशकों के संचालन में शामिल हैं, उनका उपचारित फसलों पर कीटनाशकों के अवशेषों के संपर्क में आने, असुरक्षित हैंडलिंग, भंडारण और निपटान प्रथाओं, छिड़काव उपकरणों के खराब रखरखाव, और सुरक्षात्मक उपकरणों की कमी, या इसका ठीक से उपयोग करने में विफलता के कारण कीटनाशकों के संपर्क में आने का एक उच्च जोखिम है। कीटनाशकों के स्वास्थ्य/पर्यावरणीय जोखिमों को कम करने के उपायों की आवश्यकता है, जिसमें किसानों के लिए कीटनाशक सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम, कीटनाशक कानूनों को सख्ती से लागू करना और एकीकृत कीट प्रबंधन और कीट नियंत्रण के गैर-सिंथेटिक तरीकों को बढ़ावा देना शामिल है।

जहां तक आईपीएफटी के बजटीय प्रावधानों का संबंध है, विभाग ने समिति को निम्नानुसार बताया है

(करोड़ ₹ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
2019-2020	8.00	8.00	8.00
2020-2021	11.00	10.50	10.50
2021-2022	12.00	11.50	7.90
2022-2023	11.50 (प्रस्तावित 17.20 करोड़)	-	-

5.18 यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2021-22 के लिए बजट अनुमान 12 करोड़ था, लेकिन इसे घटाकर 11.50 करोड़ रुपये कर दिया गया और 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार वास्तविक व्यय 7.90 करोड़ रुपये था। संशोधित अनुमान चरण में बजट अनुमान को कम करने के कारणों और क्या मंत्रालय 31 मार्च 2022 से पहले 3.60 करोड़ रुपये की शेष राशि का उपयोग करने में सक्षम होगा के बारे में पूछा गया। विभाग ने यह बताया कि एमईपी के अनुसार अनुदान जारी किया जा रहा है, इसलिए विभाग द्वारा जनवरी-2022 माह तक 11.50 करोड़ रुपये के स्वीकृत अनुदान में से कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी) को 9.86 करोड़ रुपये का कुल अनुदान जारी किया गया है। विभाग को उम्मीद है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 1.64 करोड़ रुपये का शेष अनुदान जारी कर दिया जाएगा।

5.19 यह भी देखा जा सकता है कि विभाग ने बजट अनुमान चरण 2022-23 में 17.20 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया था, लेकिन आईपीएफटी के लिए केवल 11.50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। विभाग ने यह बताया है कि इससे कतिपय उपस्करों की खरीद/प्रतिस्थापन, नई प्रयोगशाला सुविधाओं की स्थापना, प्रयोगशाला उन्नयन के लिए सॉफ्टवेयरों की खरीद और विभिन्न कार्यों को स्वचालित करना और नई भर्तियां प्रभावित हो सकती हैं।

5.20 कटौती के प्रभाव के बारे में विशेष रूप से पूछे जाने पर, यह बताया गया कि वर्ष 2022-23 के दौरान आईपीएफटी द्वारा नई भर्ती और आईपीएफटी की गतिविधियों के विस्तार के लिए आवश्यक अत्यधिक परिष्कृत साधन की खरीद के कारण वेतन में वृद्धि के लिए कुल 17.20 करोड़ रुपये के अनुदान का अनुरोध किया गया था। निधि आबंटन में कमी से क्षमता निर्माण विस्तार योजना प्रभावित हो सकती है।

5.21 आईपीएफटी द्वारा वर्ष 2021-22 के दौरान क्रियान्वित की जा रही परियोजना योजनाओं के प्रकार के बारे में पूछा गया। समिति को अवगत कराया गया कि आईपीएफटी अत्याधुनिक उपयोगकर्ता और पर्यावरण के अनुकूल नई पीढ़ी की कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकियों के विकास के प्रति समर्पित है। संस्थान ने भारतीय कृषि रसायन उद्योगों के साथ एक स्वस्थ संबंध स्थापित किया है और सुरक्षित, कुशल और पर्यावरण के अनुकूल सूत्रीकरण को सफलतापूर्वक प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण करने में सक्षम है। आईपीएफटी कृषि और घरेलू सूत्रीकरण दोनों के लिए जैव प्रभावकारिता, फाइटोटॉक्सिसिटी और कीटनाशक अवशेषों के लिए सीआईबी और आरसी दिशानिर्देशों के अनुसार आंकड़ों के सृजन में उद्योगों की सहायता कर रहा है। आईपीएफटी आंतरिक और बाह्य रूप से वित्त पोषित दोनों अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं पर कार्य करता है।

5.22 इसके अतिरिक्त विभाग के प्रतिनिधि ने समिति को निम्नवत बताया:

> "..... यह गुरुग्राम में स्थित एक छोटा सा लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है। यह 1991 में गुरुग्राम में स्थापित किया गया था; और इसकी गतिविधियां इस प्रकार हैं: पर्यावरण के अनुकूल कीटनाशक सूत्रीकरण का विकास, विश्लेषणात्मक, परामर्शी सेवाएं प्रदान करना, सूचना का प्रसार और हितधारकों का प्रशिक्षण, और रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन के कार्यक्रमों में भागीदारी। यह राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) और अन्य कई मान्यता प्राप्त निकायों द्वारा एक मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला है। इसने अब तक 80 कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकियों को विकसित किया है, और उद्योगों और किसानों को लगभग 60 सूत्रीकरण हस्तांतरित किए हैं। इसमें अब तक 18 पेटेंट दायर किये हैं और इसके क्रेडिट में चार पेटेंट हैं।..... हमारे अधिकारी बिलकुल जमीनी स्तर पर जा रहे हैं और किसानों को प्रशिक्षण दे रहे हैं कि सुरक्षित कीटनाशकों का उपयोग कैसे किया जाए।

<u>भोपाल गैस रिसाव त्रासदी (बीजीएलडी)</u>

समिति को बीजीएलडी के बारे में निम्नानुसार सूचित किया गया है

(i) आपदा 2 /3 दिसंबर, 1984 की रात के दौरान हुई।

(ii) भोपाल गैस विभीषिका (दावा कार्यवाही) अधिनियम, 1985 और इसके अंतर्गत योजना के तहत कल्याण आयुक्त कार्यालय (ओ/ओ डब्ल्यूसी) की स्थापना 1985 में की गई।

(iii) माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों पर यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन, संयुक्त राज्य अमरीका ने फरवरी, 1989 में 470 मिलियन अमरीकी डालर की क्षतिपूर्ति राशि जमा की।

(iv) मुआवजे का अधिनिर्णय और वितरण 1992 में शुरू हुआ। कल्याण आयुक्त कार्यालय ने जनवरी, 2021 तक 5,74,393 दावेदारों को 1549.33 करोड़ रुपये दिए।

(v) इसके अतिरिक्त जनवरी, 2022 तक 5,63,127 दावेदारों को यथानुपात मुआवजे के रूप में 1,517.90 करोड़ रुपये प्रदान किए गए।

(vi) इसके अतिरिक्त, जनवरी, 2022 तक 51,670 प्रभावित व्यक्तियों को 863.26 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की गई।

5.23 भोपाल (बीजीएलडी) के लिए बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय के संबंध में समिति को निम्नानुसार बताया गया:

(करोड़ ₹ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
2019-2020	21.42	27.95	23.61
2020-2021	31.80	21.43	18.93
2021-2022	22.06	18.53	13.57
2022-23	23.08	-	-

5.24 यह देखा जा सकता है कि लगातार तीन वर्षों से आबंटित निधियों के उपयोग में कमी है। इसके कारणों और इस संबंध में उठाए गए सुधारात्मक कदमों के बारे में पूछा गया। विभाग ने यह उत्तर दिया कि 2019-20 में, अन्य प्रभार कार्य योजना (अनुग्रह राशि) के अंतर्गत स्थायी आंशिक निःशक्तता श्रेणी के मामलों के भुगतान हेतु संशोधित अनुमान में 21.70 करोड़ रुपये की राशि की मांग की गई थी, जिसे दिनांक 27.02.2020 को स्वीकृत किया गया था, परंतु पीएफएमएस पर राशि अपलोड नहीं की गई थी।

5.25 वर्ष 2021-22 के लिए 31-01-2022 तक 18.53 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों के विरुद्ध 15.82 करोड़ रुपये का व्यय किया गया। शेष राशि का उपयोग मार्च 2022 तक किए जाने की उम्मीद है।

5.26 यह भी देखा जा सकता है कि 2019-2020 के लिए बजट अनुमान को 21.42 से बढ़ाकर 27.95 करोड़ रुपये कर दिया गया, लेकिन 2020-2021 के लिए प्रस्तावित बजट अनुमान 31.80 करोड़ रुपये था, जो संशोधित अनुमान चरण में काफी कम होकर 21.43 करोड़ रुपये हो गया, इसी तरह 2021-2022 के लिए प्रस्तावित बजट अनुमान 22.06 था, लेकिन फिर से इसे घटाकर 18.53 करोड़ रुपये कर दिया गया। वर्ष 2022-23 के लिए पुनः 23.08 करोड़ रुपये के बड़े बजट अनुमान का प्रस्ताव किया गया है।

इसके कारणों के बारे में पूछा गया। विभाग ने यह बताया कि 2019-20 में, अनुग्रह राशि के अंतर्गत अतिरिक्त 170 मामलों में 6.80 करोड़ रुपये के भुगतान के वितरण के लिए अक्टूबर, 2019 में मंजूरी दी गई थी। चूंकि बजट अनुमान 2019-20 के दौरान इन मामलों के लिए निधि का प्रावधान नहीं किया गया था, इसलिए अनुग्रह राशि के लिए निधि की मांग 14.90 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 21.70 करोड़ रुपये कर दी गई थी।

5.27 वर्ष 2020-21 में, पहली तिमाही के दौरान केवल 0.97 करोड़ रुपये वितरित किए गए थे। निधियों का उपयोग न किए जाने का मुख्य संबंध गैस पीड़ितों को अनुग्रह राशि के संवितरण से था। पहली तिमाही के दौरान भोपाल शहर कोविड -19 महामारी के कारण पूरी तरह से लॉकडाउन में रखा गया था। दावेदारों ने नामित न्यायालयों को रिपोर्ट नहीं की जिसके कारण पीठासीन अधिकारियों द्वारा मामलों को अंतिम रूप नहीं दिया गया और संवितरण नहीं किया जा सका। इसलिए, डब्ल्यूसी कार्यालय वित्तीय वर्ष 2020-21 के शेष भाग में आवंटित निधियों का उपयोग करने में असमर्थ था और इसलिए 'अन्य शुल्क (कार्य योजना)' शीर्षक के अंतर्गत 9.87 करोड़ रुपये की राशि आत्मसमर्पण कर दी।

5.28 अनुग्रह कार्य योजना शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में, 14.90 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था जो बाद में पेशेवर सेवाओं के लिए निधियों के पुन: विनियोग के कारण 14.73 करोड़ रुपये रहा। तदनुसार इस उप शीर्ष में 20% की कटौती करने के लिए निदेशित व्यय की मांग संशोधित अनुमान 21-22 में 11.75 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। अन्य शीर्षों अर्थात् वेतन और चिकित्सा उपचार शीर्ष में संशोधित अनुमानों में राशि में कमी क्रमश 02 कर्मचारियों की मृत्यु, सेवानिवृत्ति और चिकित्सा दावों को प्रस्तुत करने में कमी के कारण है।

5.29 बजट अनुमान 2022-23 में, प्रावधान को वितरण के लिए पाइपलाइन में मामलों और मध्य प्रदेश सरकार से कैंसर और गुर्दे की पूर्ण विफलता के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त होने वाले संभावित मामलों के आधार पर पीठासीन अधिकारियों द्वारा निर्धारित 15.70 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है। वेतन और मजदूरी में महंगाई भत्ते की किस्त में संभावित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए प्रावधान में थोड़ी वृद्धि की गई है।

5.30 वर्ष 2020-2021 के लिए वास्तविक व्यय क्रमशः 18.93 करोड़ रुपये और 13.57 करोड़ रुपये होने पर 23.08 करोड़ रुपये के उच्च मूल्य अनुमान का प्रस्ताव करने के आधार के बारे में पूछा गया। विभाग ने यह उत्तर दिया कि बजट अनुमान 2022-23 में वितरण के लिए पाइपलाइन में मामलों और कैंसर के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त होने वाले संभावित मामलों और आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में गुर्दे की पूर्ण विफलता के संबंध में मप्र सरकार से प्राप्त होने वाले मामलों के आधार पर पीठासीन अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रावधान को बढ़ाकर 15.70 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वेतन और मजदूरी में, महंगाई भत्ते की किस्त में संभावित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए प्रावधान में थोड़ी वृद्धि की गई है।

5.31 इसके अतिरिक्त वर्ष 2019-20 के लिए बीजीएलडी के लिए बजट अनुमान 21.42 करोड़ रुपये था जिसे संशोधित करके 27.95 करोड़ रुपये कर दिया गया था, लेकिन वास्तविक व्यय केवल 23.61 करोड़ रुपये था और 4.34 करोड़ रुपये की निधियों का उपयोग न करने के कारणों को बताने के लिए कहा गया था,

यह बताया गया था कि बजट अनुमान 2019-20 में, 21.42 करोड़ रुपये में से, 14.90 करोड़ रुपये का प्रावधान अनुग्रह राशि के लिये था और 6.42 करोड़ रुपये स्थापना व्यय के लिये था। अनुग्रह राशि के अंतर्गत अतिरिक्त 170 मामलों में 6.80 करोड़ रुपये के भुगतान के वितरण की मंजूरी अक्टूबर, 2019 में दी गई थी। इसलिए मांग को 14.90 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 21.70 करोड़ रुपये कर दिया गया। अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए 14.90 करोड़ रुपये की तुलना में 21.70 करोड़ रुपये की राशि की मांग की गई थी, लेकिन इसे पीएफएमएस पर अपलोड नहीं किया जा सका। इसलिए, वर्ष 2019-20 के लिए 23.61 करोड़ रुपये का व्यय किया जा सकता है।

5.32 भोपाल गैस रिसाव त्रासदी के संबंध में विभाग के प्रतिनिधि ने समिति को निम्नवत अवगत कराया:

> जहां तक भोपाल गैस रिसाव त्रासदी का संबंध है, यह त्रासदी 2/3 दिसंबर, 1984 की रात में हुई थी और कल्याण आयुक्त कार्यालय 1985 में भोपाल गैस विभीषिका (दावा कार्यवाही) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन, संयुक्त राज्य अमरीका ने फरवरी, 1989 में 470 मिलियन अमरीकी डालर की क्षतिपूर्ति राशि जमा की थी। मुआवजे का निर्णय और वितरण 1992 में शुरू हुआ और कल्याण आयुक्त कार्यालय ने जनवरी, 2021 तक 5,74,393 दावेदारों को 1,549.33 करोड़ रुपये दिए। इसके अतिरिक्त, जनवरी, 2022 तक 5,63,127 दावेदारों को यथानुपात मुआवजे के रूप में 1,517.90 करोड़ रुपये दिए गए थे। इसके अतिरिक्त, जनवरी, 2022 तक 51,670 प्रभावित व्यक्तियों को 863.26 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की गई थी।

5.33 विभाग के प्रतिनिधि ने समिति को यह भी बताया कि आज की तिथिनुसार उन्हें मुआवजे के लिए बहुत कम दावे प्राप्त हो रहे हैं। समिति को निम्नवत भी बताया गया:

> "महोदया, 574000 लोगों को मुआवजा दिया गया है। इसके बाद 563000 लोगों के बीच यथानुपात राशि भी वितरित की गई। अब, इस योजना में, हम अनुग्रह राशि का संवितरण कर रहे हैं जो केंद्र सरकार द्वारा उन व्यक्तियों को स्वीकृत की जाती है जो कैंसर या आंतरिक अंगों के पूर्ण रूप से कार्य न करने से पीड़ित हैं।

5.34 तत्पश्चात समिति ने भोपाल गैस रिसाव स्थल से विषैले अपशिष्ट को हटाने के बारे में पूछा। इसके उत्तर में विभाग के प्रतिनिधि ने इस प्रकार अवगत कराया:

> "महोदया, मैं बस इस संबंध में अद्यतन जानकारी दूंगा। लेकिन इस पूरे मामले की निगरानी के लिए माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति का गठन किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने एक अंतर्राष्ट्रीय निविदा जारी की और उसके आधार पर उन्होंने एक संगठन की पहचान की है जो विषाक्त कचरे के परिवहन के लिए आगे आया है। अब इस

प्रस्ताव को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के समक्ष विचारार्थ और निगरानी समिति को इसके पक्ष-विपक्ष को देखते हुए मंजूरी देने हेतु भेजा गया। अतः, यह पिछली बैठक के पश्चात स्थानांतरित किया गया है और यह प्रक्रियाधीन है।

5.35 समिति ने यह उल्लेख किया है कि भोपाल गैस अस्पताल में कई डॉक्टर कुछ अन्य स्थानों से प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं और विभागाध्यक्ष सहित वरिष्ठ चिकित्सक प्रतिनियुक्ति पर हैं। समिति इससे संबंधित कारणों को जानना चाहती थी।

<u>पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर) नीति</u>

5.36 विभाग ने यह सूचित किया है कि पीसीपीआईआर नीति का उद्देश्य रसायन क्षेत्र में विनिर्माण को बढ़ावा देना, निर्यात में वृद्धि करना और क्लस्टर विकास दृष्टिकोण में डाउनस्ट्रीम उद्योग के मूल विकास के साथ रोजगार सृजित करना है। अब तक चार पीसीपीआईआर अधिसूचित किए गए हैं (i) गुजरात (दाहेज) 2009 में, (ii) आंध्र प्रदेश (विशाखापत्तनम) 2009 में, (iii) ओडिशा (पारादीप) 2010 में और (iv) तमिलनाडु (कुड्डालोर और नागपट्टिनम) 2012 में। इन पीसीपीआईआर से 7.63 लाख रुपये का निवेश आकर्षित किए जाने की उम्मीद है और इससे लगभग 33.88 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजन होने की उम्मीद है।

5.37 जहां तक पीसीपीआईआर का संबंध है, समिति को यह भी बताया गया कि भारत सरकार संबंधित मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं के अंतर्गत रेल, सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग), बंदरगाहों, हवाईअड्डों और दूरसंचार सहित पीसीपीआईआर के बुनियादी ढांचा लिंकेज विकसित करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारें और राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन संगठन भी आंतरिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। हालांकि, विभाग पीसीपीआईआर को कोई बजटीय आबंटन नहीं करता है। चार पीसीपीआईआर में, जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, इन क्षेत्रों में 2.27 लाख करोड़ रुपये (लगभग) का निवेश किया गया है/प्रतिबद्ध किया गया है और लगभग 4.21 लाख व्यक्तियों को पीसीपीआईआर में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष गतिविधियों में नियोजित किया गया है। सरकार समय-समय पर पीसीपीआईआर के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है। इस विभाग ने अधिक निवेशों को आकर्षित करने और तेजी से कार्यान्वयन के उद्देश्य से मौजूदा पीसीपीआईआर नीति में आवश्यक संशोधन करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

5.38 यह पूछे जाने पर कि विभाग मौजूदा पीसीपीआईआर नीति में क्या संशोधन करना चाहता है और इस संबंध में किन कदमों कि परिकल्पना की गई है। इस संबंध में निम्नानुसार बताया गया:

मंत्रालय ने मौजूदा पीसीपीआईआर नीति में निम्नलिखित संशोधनों का प्रस्ताव किया है -

i. नए पीसीपीआईआर के लिए न्यूनतम आवश्यक क्षेत्र को 250 से घटाकर 50 वर्ग कि.मी. करना जिसमें 33 वर्ग कि.मी. का न्यूनतम प्रसंस्करण क्षेत्र हो, जिसमें से कम से कम 80% ग्रीनफील्ड विनिर्माण परियोजनाओं के लिए होना चाहिए।

ii. पीसीपीआईआर के लिए "प्रबंधन बोर्ड" का नाम बदलकर "विकास और प्रबंधन बोर्ड" करना। राज्य सरकारों को अधिसूचित पीसीपीआईआर क्षेत्र में 'सिंगल विंडो क्लीयरेंस' प्रणाली प्रदान करने के लिए बोर्डों को विभिन्न राज्य कानूनों के अंतर्गत आवश्यक अनुमोदन और मंजूरी जारी करने की शक्तियां सौंपनी चाहिए।

iii. बाह्य भौतिक संपर्कों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के अतिरिक्त, भारत सरकार राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) जैसी मौजूदा योजनाओं के अंतर्गत आंतरिक बुनियादी ढांचे और सामान्य उपयोगिताओं के विकास/निर्माण के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता पर सहायता देने पर विचार करेगी।

iv. भारत सरकार मास्टर प्लानिंग, आंतरिक बुनियादी ढांचे और उपयोगिताओं का निर्माण करने, जो किसी अन्य योजना के तहत नहीं किया गया है, निवेश योग्य औद्योगिक परियोजनाओं की शेल्फ विकसित करने और घरेलू के साथ ही वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए विपणन पहल करने, पूर्णकालिक सीईओ और अन्य तकनीकी और प्रबंधकीय विशेषज्ञों, जिन्हें समान निवेश क्षेत्रों के विकास का अनुभव हो, की नियुक्ति करने के लिए अधिकतम 2,500 करोड़ रुपये के इक्विटी योगदान के साथ प्रबंधन और विकास बोर्डों की सहायता करेगी। यह इक्विटी सहायता आवश्यक भूमि के अधिग्रहण और निर्माण कार्य की प्रगति के आधार पर 5 वर्षों की अवधि में दी जाएगी।

v. उन रसायनों और पेट्रोरसायनों, जो बहुत अधिक मूल्य में आयात किए जाते हैं और उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं, के लिए बिना किसी महत्वपूर्ण प्रभाव के और साथ ही साथ संभावित निवेशकों को अनुकूल संकेत भेजते हुए, सुचारू अवशोषण सुनिश्चित करने के लिए पांच साल की अवधि में छोटे चरणों में सीमा शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव है, लेकिन साथ ही साथ रसायनों के आयात पर प्रभावी सीमा शुल्क (ईसीडी) को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा।

vi. पीसीपीआईआर के अनुमोदन और निगरानी के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति में तीन विभागों अर्थात उर्वरक, औषध और जल संसाधन, आरडी और जीआर के सचिवों को शामिल करना और सदस्य सचिव, योजना आयोग के स्थान पर सीईओ नीति आयोग को शामिल करना।

vii. पीसीपीआईआर की योजना या तो एक या अधिक एंकर टेनेंट से अथवा आयात आदि सहित पीसीपीआईआर के बाहर से फीड-स्टॉक/कच्चे माल पर आधारित हो सकती है।

5.39 यह पूछे जाने पर कि विभाग पीसीपीआईआर को कोई बजटीय आबंटन क्यों नहीं करता है। विभाग ने निम्नवत उत्तर दिया:

पीसीपीआईआर नीति के अनुसार, भारत सरकार समयबद्ध तरीके से रेल, सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग), बंदरगाहों, हवाई अड्डों और दूरसंचार सहित पीसीपीआईआर के लिए बाहरी भौतिक बुनियादी ढांचे की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। इस बुनियादी ढांचे का निर्माण/उन्नयन सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से यथासंभव सीमा तक किया जाएगा। केंद्र सरकार मौजूदा योजनाओं के जरिए जरूरी वायबिलिटी गैप वित्त पोषण मुहैया कराएगी। जहां आवश्यक होगा, सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से इन लिंकेज के सृजन के लिए अपेक्षित बजटीय प्रावधान भी किए जाएंगे। सभी 4 पीसीपीआईआर की विस्तृत अद्यतन स्थिति के संबंध में समिति को निम्नानुसार बताया गया:

सूचक	**गुजरात**	**आंध्र प्रदेश**	**ओडिशा**	**तमिलनाडु**
स्थान/क्षेत्र	दाहेज, भरूच	विशाखापट्टनम- काकीनाडा	पारादीप	कुड्डालोर- नागपट्टिनम
अनुमोदन की तिथि	फ़रवरी, 2009	फ़रवरी, 2009	दिसम्बर, 2010	जुलाई, 2012
एमओए की तिथि	07.01.2010	01.10.2009	03.11.2011	20.02.2014
कुल क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	453.00	640.00	284.15	256.83
प्रसंस्करण क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)	248.00	270.00	123.00	104.00
एंकर टेनेंट	ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड (ओपीएएल)	अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल)	टिडको नागार्जुन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रस्तावित एंकर टेनेंट के पुनरुद्धार/इस स्थान पर स्थापित होने वाली नई परियोजना की प्रतीक्षा कर रहा है।
एमएमटीपीए में रिफाइनरी / क्रैकर क्षमता	पटाखा: एथिलीन: 1.1 प्रोपलीन: 0.6	अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है	15 (ग्रीनफील्ड रिफाइनरी)	
एंकर परियोजना की स्थिति	मार्च, 2017 में शुरू किया गया	अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।	फरवरी, 2016 में शुरू किया गया।	
स्वीकृत अवसंरचना परियोजनाओं की राशि (करोड़ ₹)*	लागू नहीं	18,731.00	13,634.00	13,354.00
वीजीएफ के रूप में भारत सरकार का हिस्सा (करोड़ रुपये)	80.50	1206.80	716.00	1143.00 (बजटीय सहायता-1500)

कुल प्रस्तावित निवेश (करोड़ ₹) *	50,000.00	3,43,000.00	2,77,734.00	92,500.00
किए गए निवेश (करोड़ ₹)	1,21,227	51,481.00- प्रतिबद्ध और 15,081.00 - अब तक वास्तविक	47,000.00	8,100.00
अनुमानित रोजगार (सं.)*	8,00,000	11,98,000	6,48,000	7,37,200
सृजित रोजगार (सं.)	2,28,000	1,39,627	40,000	13,950
मास्टर प्लान अधिसूचना की स्थिति	विकास योजना स्वीकृत।	क्षेत्र अध्ययन, ग्राम स्तरीय परामर्श पूर्ण। एंकर यूनिट द्वारा क्रैकर कॉम्प्लेक्स आदि के स्थान, विन्यास और क्षमता आदि को अंतिम रूप देने के बाद मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया जाएगा।	मास्टर प्लान तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है।	पीसीपीआईआर प्रबंधन बोर्ड के गठन के बाद इस पर विचार किया जाएगा।
ईआईए की स्थिति	पर्यावरणीय मंजूरी और तटीय क्षेत्र जोन प्राप्त।	पर्यावरण मंजूरी, ईआईए अध्ययन, बेसलाइन डेटा का संग्रह आदि पूरा किया गया। क्रैकर परिसर के स्थान, विन्यास और क्षमता के आधार पर मास्टर प्लान को अंतिम रूप देने के बाद जन-सुनवाई की जाएगी और पर्यावरण मंजूरी के लिए कार्रवाई की जाएगी।	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी नियमों और शर्तों के आधार पर ईआईए और ईएमपी रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया गया है और इसे जगतसिंहपुर और केंद्रपाड़ा जिले में सुनवाई आयोजित करने के लिए ओडिशा एसपीसीबी को प्रस्तुत किया गया है।	पीसीपीआईआर प्रबंधन बोर्ड के गठन के बाद लिया जाएगा।

* परियोजनाओं के अनुमोदन चरण में।

5.40 गुजरात, आन्ध्र प्रदेश और ओडिशा में पीसीपीआईआर की स्थापना में विलंब के कारण पूछे जाने पर विभाग ने यह बताया कि ये 20-25 वर्षों की लंबी अवधि की बड़ी परियोजनाएं हैं और पूर्ण क्षमता की प्राप्ति एक क्रमिक प्रक्रिया है। विभिन्न मौसमों के लिए मास्टर प्लान और पर्यावरण प्रभाव आकलन बनाने और अनुमोदन में समय लगता है जो निवेश को आकर्षित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार ने अधिक निवेश आकर्षित करने और तेजी से कार्यान्वयन के उद्देश्य से पीसीपीआईआर नीति की समीक्षा करने की प्रक्रिया भी शुरू की है।

5.41 विभाग के प्रतिनिधि ने समिति को पीसीपीआईआर के बारे में आगे निम्नवत बताया:

'हमारे पास पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र के लिए एक नीति है। जैसा कि सचिव ने बिलकुल शुरुआत में कहा था कि हम क्लस्टर विकास दृष्टिकोण में विश्वास करते हैं। जब तक हम क्लस्टर विकास मॉडल प्रदान नहीं करते हैं, तब तक यह रसायन और पेट्रोरसायन विकसित नहीं हो सकता है। अतः, रसायन क्षेत्र में विनिर्माण को बढ़ावा देने, निर्यातों में वृद्धि करने और क्लस्टर विकास दृष्टिकोण में डाउनस्ट्रीम उद्योग के सह-विकास के साथ रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से पीसीपीआईआर नीति तैयार की गई है। अब तक, सरकार द्वारा 4 पीसीपीआईआर अधिसूचित किए गए हैं। पहला गुजरात में, दूसरा आंध्र प्रदेश में, तीसरा ओडिशा में और चौथा तमिलनाडु में है। इन 4 पीसीपीआईआर से लगभग 7.63 लाख करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करने की उम्मीद है और साथ ही, हम उम्मीद करते हैं कि लगभग 33.83 लाख लोगों को पूरी तरह से चालू होने के बाद रोजगार मिलेगा। गुजरात के दाहेज में, 453 वर्ग कि.मी. की पहचान की गई है और वहां का प्रसंस्करण क्षेत्र 248 वर्ग कि.मी. है और एंकर टेनेंट को 2017 में शुरू किया गया था और प्रस्तावित निवेश लगभग 50,000 करोड़ रुपये था। पहले ही 1,21,227 करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका है और 8 लाख रोजगार का अनुमान है। इसमें से 2,28,000 रोजगार पहले ही सृजित किए जा चुके हैं। विकास योजना पहले ही स्वीकृत है। ऐसे ही कुछ और उदाहरण हैं"।

5.42 समिति ने यह नोट किया कि विभाग का यह दृष्टिकोण है कि वह अधिक निवेश को आकर्षित करे और पीसीपीआईआर के माध्यम से रोजगार सृजित करे। अतः, समिति ने रसायन और पेट्रोरसायन उद्योग के लिए अवसंरचना विकास के लिए विभाग की कार्यनीति के बारे में जानना चाहा। इसके उत्तर में मंत्रालय के प्रतिनिधि ने इस प्रकार बताया:

"पीसीपीआईआर के संबंध में, यह एक नीतिगत मामला है और विभाग पहले से ही इसमें संशोधन करने और इसे और अधिक सफल बनाने के लिए सक्रिय रूप से विचार कर रहा है। तत्पश्चात् कच्चे माल के लिए कार्यनीति के संबंध में जो देश में उपलब्ध नहीं है, यह हमारी मूल कार्यनीति है। कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं हो सकता अथवा उसमें सभी चीजें नहीं हो सकती। हमारे पास कुछ चीजों की कमी और कुछ चीजों का अधिशेष हो सकता है। इसलिए, हम कच्चे माल को सस्ते मूल्य पर आयात करने और मूल्य वर्धन के बाद निर्यात करने की रणनीति अपना रहे हैं। इसलिए, हम सामान्य नियम का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि यह क्षेत्र लाइसेंस मुक्त और विनियमित है, इसलिए वहां बहुत अधिक विनियामक मुद्दे नहीं हैं। लेकिन जैसा कि आपने करों के बारे में सही कहा है कि कर के मुद्दों पर गौर किया जाना चाहिए और हम उद्योग और उनकी आवश्यकताओं के परामर्श से इसके लिए सिफारिश कर रहे हैं।

भाग – दो

टिप्पणियाँ / सिफारिशें

सिफारिश संख्या 1: रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तावित और अनुमोदित आवंटन

समिति ने नोट किया कि वर्ष 2022-23 के लिए, विभाग ने 271.27 करोड़ रुपये के ब.अ. का प्रस्ताव किया था, लेकिन केवल 209.00 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। प्रस्ताव की तुलना में 62.27 करोड़ रुपए की इस कटौती के संबंध में विभाग द्वारा बताए गए कारणों में विभाग द्वारा किया गया समग्र व्यय, सरकार के पास उपलब्ध संसाधन और इसकी प्राथमिकताएं शामिल हैं। समिति का मत है कि सरकार की समग्र प्राथमिकताओं, संसाधनों की उपलब्धता के कारक विभाग के नियंत्रण से परे हैं लेकिन पिछले वित्तीय वर्षों का प्रस्ताव के अनुरूप व्यय ट्रैक विभाग को निधियों के आबंटन में निर्णायक कारकों में से एक है, यह पूर्णत: विभाग की जिम्मेदारी है। समिति को उम्मीद है कि विभाग आबंटित निधियों के उपयोग पर आवश्यक ध्यान देगा। इसके अलावा, विभाग ने बताया है कि वर्ष 2022-23 के लिए आबंटित बजट की तुलना में प्रस्तावित बजट में मुख्य कमियों में एनएसपी के तहत 53.77 करोड़ रुपये, आईपीएफटी के तहत 5.70 करोड़ रुपये, सीपीडीएस के तहत 3.00 करोड़ रुपये और सीआईपीईटी के तहत 1.13 करोड़ रुपये की मामूली कमी शामिल है, जिससे सीआईपीईटी की योजना में बाधा उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। समिति ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि विभाग की दोनों स्कीमों नामत (i) नई पेट्रोरसायन योजना (एनएसपी) और (ii) रसायन संवर्धन और विकास योजना (सीपीडीएस) में क्रमश 53.77 करोड़ रुपए और 3.00 करोड़ रुपए की कमी आई है। इस प्रकार विभाग की प्रमुख योजनाओं का विभाग के कार्यकरण पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, आईपीएफटी में 5.70 करोड़ रुपए की कमी आई है जिसका विभाग के कार्यकरण के निष्पादन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। समिति विभाग के इस उत्तर से कुछ हद तक संतुष्ट है कि सीआईपीईटी के लिए 1.13 करोड़ रुपये की मामूली कटौती से उसके द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं या कार्यक्रमों में गंभीर रूप से बाधा उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। तथापि, समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि विभाग को एनएसपी और सीपीडीएस के लिए आबंटित निधियों का विवेकपूर्ण और सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए और यदि आवश्यक हो, तो इन स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निधियों का अपेक्षित आबंटन प्राप्त करने के लिए इस मामले को उपयुक्त स्तर पर भी उठाना चाहिए।

सिफारिश संख्या 2: 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान बजटीय आवंटन और उपयोग

समिति ने नोट किया कि ब.अ. (2019-20) 263.65 करोड़ रुपये था जिसे संशोधित करके 370.18 करोड़ रुपये कर दिया गया था और वास्तविक व्यय 365.10 करोड़ रुपये था। ब.अ. (2020-21) 218.34 करोड़ रुपये था, लेकिन इसे फिर से सं.अ. चरण में 395.70 करोड़ रुपये तक किया गया और वास्तविक व्यय 293.04 करोड़ रुपये था। ब.अ. (2021-22) 233.14 करोड़ रुपये था, लेकिन इसे संशोधित करके 209.00 करोड़ रुपये कर दिया गया है और 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार वास्तविक व्यय 158.00 करोड़ रुपये है। समिति 2019-20 और 2020-21 के दौरान आवंटित निधियों के उपयोग को देख कर संतुष्ट है जो संबंधित वर्षों के लिए सं.अ. का 98.6% और 99% है। 2021-22 के दौरान 51.00 करोड़ रुपये के शेष निधि उपयोग के बारे में समिति को सूचित किया गया है कि विभिन्न प्रभागों द्वारा प्रस्तावों को आईएफडी को अग्रेषित कर दिया गया है और सहमति के बाद, विभाग द्वारा 51.00 करोड़ रुपये की शेष निधियों का उपयोग करने के लिए आवश्यक मंजूरी आदेश जारी किए गए हैं। समिति को आशा है कि विभाग आने वाले वर्षों में आबंटित निधियों के इष्टतम उपयोग में अपना कार्य निष्पादन जारी रखेगा। जहां तक सं.अ. चरण में ब.अ. (2021-22) को 233.14 करोड़ रुपये से घटाकर 209.00 करोड़ रुपये करने का संबंध है, विभाग ने बताया है कि यह मुख्य रूप से दो कारकों के कारण है (i) सीआईपीईटी स्कीमों के लिए निधि के आबंटन में कमी और (ii) बीजीएलडी लागत केन्द्र सीआईपीईटी को 117.88 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे, जिन्हें विभिन्न कारणों से घटाकर 102.34 करोड़ रुपए कर दिया गया था जैसे (i) जम्मू में भूमि का आबंटन न करना, (ii) जम्मू और कश्मीर में सीआईपीईटी की स्थापना के लिए परियोजना लागत का 50% अभी भी विचाराधीन है आदि और जहां तक बीजीएलडी का संबंध है, कोविड-19 के कारण कुल 3.53 करोड़ रुपये की कमी की गई है, वित्त मंत्रालय द्वारा समग्र ब.अ. आवंटन के अधिकतम 20% व्यय की सीमा लगाई गई है। समिति ने पाया है कि बीजीएलडी से संबंधित मुद्दे विभाग के नियंत्रण में नहीं हैं जबकि सीआईपीईटी से संबंधित पूर्व मुद्दा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है। इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि विभाग को विभिन्न योजनाओं के लंबित मुद्दों को सुव्यवस्थित करना चाहिए और इसमें तेज़ी लाई जानी चाहिए ताकि भविष्य में निधियों का अधिक आवंटन प्राप्त किया जा सके।

सिफारिश संख्या 3: 2021-22 के लिए पेट्रोरसायन (एनएसपी) की नई योजनाओं के तहत निधियों का उपयोग

समिति ने नोट किया कि वर्ष 2021-22 के दौरान एनएसपी के लिए ब.अ. में 53.73 करोड़ रुपये की राशि का अनुमान लगाया गया था जिसे सं.अ. चरण में घटाकर 51.13 करोड़ रुपये कर दिया गया था और 31.01.2022 की तिथि तक कम किए गए सं.अ. में से विभाग द्वारा 42.54 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया है। विभाग ने कहा है कि उन्होंने उन्हें सौंपी गई राशि मासिक और त्रैमासिक व्यय योजना सीमाओं के अनुसार व्यय की है और वे वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सं.अ. चरण में एनएसपी के तहत आवंटित पूरी राशि का उपयोग करने की उम्मीद कर रहे हैं। समिति को आशा और विश्वास है कि जैसा कि आश्वासन दिया गया है, विभाग शेष आबंटित राशि को 31.03.2022 तक व्यय करने में सक्षम होगा।

सिफारिश संख्या 4: एनएसपी के ब.अ. (2022-23) में भारी कटौती

समिति ने नोट किया कि विभाग ने वर्ष 2022-23 के लिए ब.अ. के रूप में 102.73 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की है, लेकिन इसे 48.50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। जहां तक 102.27 करोड़ रुपए की राशि का संबंध है, समिति को सूचित किया गया है कि चालू परियोजनाओं के लिए 66.27 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया था और नए उत्कृष्ट केन्द्रों (सीओई) और नए प्लास्टिक पार्कों के लिए 36.00 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए थे। समिति को यह भी सूचित किया गया है कि निधियों में कटौती से पुरानी परियोजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन के साथ-साथ मौजूदा योजना की निरंतरता और विस्तार प्रभावित हो सकता है। इसलिए, समिति यह सिफारिश करती है कि विभाग को 102.73 करोड़ रुपए के प्रस्तावित ब.अ. में भारी कटौती के कारणों का तत्काल विश्लेषण करना चाहिए और एनएसपी के लिए प्रस्तावित ब.अ. के अनुरूप निधियों का आबंटन प्राप्त करने के लिए इस मामले को अधिक बलपूर्वक उचित मंच पर उठाना चाहिए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि किसी भी कीमत पर एनएसपी के अंतर्गत योजना के कार्यान्वयन और विस्तार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

सिफारिश संख्या 5: पांच नए प्लास्टिक पार्कों का प्रस्ताव

समिति ने नोट किया है कि वर्ष 2025-26 तक 202.50 करोड़ रुपये के कुल बजट परिव्यय पर पांच नए प्लास्टिक पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसमें प्रत्येक पार्क के लिए 40 करोड़ रुपये और प्रत्येक पार्क के लिए कार्यक्रम प्रबंधक शुल्क के रूप में 2.50 करोड़ रुपये शामिल हैं और इस प्रस्ताव को रसायन और उर्वरक मंत्री और वित्त संबंधी स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है, लेकिन व्यय विभाग की सहमति प्रतीक्षित है। इस प्रकार व्यय विभाग से अनुरोध किया गया है कि वह पांच नए प्लास्टिक पार्कों के प्रस्ताव के लिए अनुमोदन/सहमति प्रदान करे। इस संबंध में विभाग के प्रतिनिधि द्वारा मौखिक साक्ष्य के दौरान बताया गया है कि प्लास्टिक पार्कों की स्थापना में धीमी प्रगति के कारण प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी गई है। हालांकि अब वे इस मामले को वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के समक्ष उठाएंगे। समिति घटनाओं के इस क्रम को नोट करते हुए क्षुब्ध है और यह राय देती है कि प्लास्टिक पार्कों की स्थापना में धीमी प्रगति के लिए केवल और केवल विभाग जिम्मेदार है। यद्यपि विभाग ने बताया की किया है कि उन्होंने (i) राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गई प्रगति की समीक्षा, (ii) समीक्षा बैठकों/फील्ड इकाइयों का आयोजन और (iii) योजना संचालन समिति (एसएससी) द्वारा प्लास्टिक पार्कों की समीक्षा करने आदि जैसे कई उपाय शुरू किए हैं, लेकिन समिति का मानना है कि ये उपाय प्लास्टिक पार्कों की स्थापना की गति को तेज करने के वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं और इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है और इसके साथ ही विभाग द्वारा ठोस उपाय किए जाने चाहिए। इस संबंध में, विभाग ने बताया है कि वे वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा उक्त प्रस्ताव के संबंध में शीघ्र सहमति की उम्मीद करते हैं, फिर भी समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि इस मामले को सख्ती से आगे बढ़ाया जाए अन्यथा निधियों की पूरी गणना और पांच नए प्लास्टिक पार्कों की योजना मूर्त रूप नहीं ले पाएंगी। समिति यह भी सिफारिश करती है कि जहां तक संभव हो, वित्त मंत्रालय से आवश्यक अनुमोदन/सहमति प्राप्त करने के बाद ही ब.अ. प्रस्तावित किया जाना चाहिए।

<u>सिफारिश संख्या 6: प्लास्टिक पार्क की नीति पर पुनर्विचार</u>

समिति को अवगत कराया गया है कि विभाग ने प्लास्टिक पार्कों की स्थापना की नीति पर पुनर्विचार किया है और अब ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के अतिरिक्त, ब्राउनफील्ड परियोजनाओं पर भी उद्योग के अनुरोध के अनुसार भी विचार किया जाएगा और अब उद्यमी को भूमि खरीदने और अपनी पूंजी को अवरुद्ध करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे अब पट्टे के आधार पर भी भूमि प्राप्त कर सकते हैं। समिति को आशा है कि इस संशोधन को लाकर विभाग प्लास्टिक पार्कों की स्थापना की गति को तेज करने में सक्षम होगा।

सिफारिश संख्या 7 : पारादीप, ओडिशा और असम में प्लास्टिक पार्कों की स्थापना में विलंब

जहां तक ओडिशा और असम में प्लास्टिक पार्कों की स्थापना में विलंब का संबंध है, समिति को बताया गया कि इकाइयों के आगे न आने के कारण कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) लंबित है और सोच-विचार कर यह निर्णय लिया गया है कि सीएफसी के लिए मशीनरी और उपकरण नहीं लगाए जाएंगे क्योंकि यह पुराना हो जाएगा। समिति का विचार है कि पारादीप, ओडिशा और असम में प्लास्टिक पार्क, विभाग की ओर से उचित योजना/प्रबंधन की कमी का शिकार हो गए हैं। समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि इन दोनों प्लास्टिक पार्कों के भाग्य का निर्णय शीघ्रातिशीघ्र किया जाए और उद्योग को आगे आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। समिति को इस संबंध में उठाए गए कदमों से भी अवगत कराया जाए।

सिफारिश संख्या 8: प्लास्टिक पार्कों का स्थान

समिति को अवगत कराया गया कि राज्य सरकार प्लास्टिक पार्कों के लिए आंशिक रूप से भूमि का चयन करती है और इसे विभाग को दे देती है। हालांकि, पहले विभाग राज्य सरकार द्वारा भूमि के स्थान की परवाह किए बिना भूमि के प्रस्तावों को स्वीकार कर रहा था लेकिन अब सचिव की अध्यक्षता में एक संचालन समिति का गठन किया गया है और विभाग लगातार भूमि के स्थान का चयन कर रहा है और वह स्थान भी उद्योग को दिखाया जाता है और एक बार जब उनके द्वारा इसे सहमति दे दी जाती है या वे उस स्थान पर प्लास्टिक पार्कों की स्थापना के लिए तैयार हो जाते हैं, उसके बाद ही प्लास्टिक पार्क को स्वीकृति प्रदान की जाती है। समिति के विचार से एक सही कदम है और यह कदम पहले ही उठा लिया जाना चाहिए था। समिति को उम्मीद है कि इस कदम से प्लास्टिक पार्कों की स्थापना में देरी में कमी आएगी। समिति को बताया गया है कि तिनसुकिया स्थित प्लास्टिक पार्कों में मुख्य रूप से स्थान संबंधी परेशानियों के कारण विलंब हो रहा है। समिति की सिफारिश है कि तिनसुकिया प्लास्टिक पार्क के बारे में भी अंतिम निर्णय लिया जाए और इसे स्थान संबंधी परेशानियों के कारण नहीं छोड़ा जाए।

सिफारिश संख्या 9: उत्कृष्टता केंद्र (सीओई)

समिति नोट करती है कि उत्कृष्टता केन्द्रों (सीओई) का मूल उद्देश्य पेट्रोरसायनों के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है और अब तक कुछ सीओई स्वीकृत भी किए गए हैं। हालांकि, प्रति उत्कृष्टता केन्द्र 6.00 करोड़ रुपए की स्वीकृति राशि को अब घटाकर 5.00 करोड़ रुपए कर दिया गया है। समिति को इस कटौती के औचित्य से अवगत नहीं कराया गया है। समिति को लगता है कि पेट्रोरसायन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास से संबंधित होने के कारण यह विभाग की एक महत्वपूर्ण योजना है और अतः, समिति यह सिफारिश करती है कि निधि में कटौती के पीछे के कारणों का समुचित विश्लेषण किया जाए।

<u>सिफारिश संख्या 10: रसायन संवर्धन और विकास योजना (सीपीडीएस)</u>

समिति नोट करती है कि विभाग रसायन और पेट्रोरसायन उद्योग के संवर्धन और विकास के लिए जागरूकता उत्पन्न करने के साथ-साथ सूचना के प्रसार हेतु कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, अध्ययनों आदि का आयोजन करने के लिए विभिन्न संगठनों/उद्योग संघों आदि को सहायता अनुदान के रूप में सीपीडीएस के अंतर्गत सुलभ सहायता प्रदान करता है। समिति यह भी नोट करती है कि विभाग रसायन और पेट्रोरसायन के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार भी प्रदान करता है। जहां तक सहायता अनुदान का संबंध है, समिति ने नोट किया कि वर्ष 2019-20 के दौरान, 56 संगठनों/उद्योग संघों से प्राप्त में से केवल 8 संगठनों को सहायता अनुदान दिया गया था। वर्ष 2020-21 के दौरान, 168 संगठनों/उद्योग संघों ने आवेदन किया, लेकिन केवल 04 संगठनों/उद्योग संघों को अनुदान सहायता प्रदान की गई। वर्ष 2021-22 के लिए, 31.01.2022 तक, 26 संगठनों ने आवेदन किया लेकिन केवल 06 संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान किया गया है। चार वर्ष की अवधि के दौरान यानी 2019 से 2022 तक, प्राप्त 250 आवेदनों में से केवल 18 संगठनों/उद्योग संघों को सहायता अनुदान प्रदान किया गया है। इन आंकड़ों से सीपीडीएस के अंतर्गत अनुदान सहायता प्रदान करने की नीति पर संदेह उत्पन्न होता है। समिति को ऐसा लगता है कि सीपीडीएस के संबंध में संगठनों/उद्योग संघों के बीच जागरूकता की कमी है और साथ ही योजनाओं के महत्वपूर्ण पहलू के बारे में भी जागरूकता का अभाव है। समिति सिफारिश करती है कि सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिए संगठनों/उद्योग संघों को जागरूक करने के लिए विभाग द्वारा उचित कदम उठाए जाएं। विभाग आवेदनों को अस्वीकार किए जाने के कारणों का भी विश्लेषण करे और उपचारात्मक कदम उठाए। जहां तक सीपीडीएस के अंतर्गत विभाग के पास लंबित पड़े आवेदनों का संबंध है, समिति को बताया गया कि उनके द्वारा प्राप्त प्रस्तावों पर सीपीडीएस के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की गई है। हालांकि, निधियां जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की सहमति के अभाव में सहायता अनुदान के कुछ प्रस्तावों को

स्थगित रखा गया है और इस मामले को इस विभाग द्वारा व्यय विभाग के समक्ष रखा जा रहा है। समिति सिफारिश करती है कि इस मामले को आगे बढ़ाया जाए और इसका तार्किक निष्कर्ष निकाला जाए तथा इस संबंध में अंतिम परिणाम से समिति को अवगत कराया जाए।

<u>सिफारिश संख्या 11: सीपीडीएस के अंतर्गत पुरस्कार प्रदान करना</u>

जहां तक व्यक्तियों/वैज्ञानिकों के समूह आदि को पेट्रोरसायन और डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में नवाचारों के लिए प्रोत्साहन के रूप में दिए जा रहे पुरस्कारों का संबंध है, समिति नोट करती है कि विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अनुसार सीपीडीएस के अंतर्गत पुरस्कार प्रदान करने की प्रक्रिया बहुत जटिल है और पुरस्कार तब तक नहीं दिया जाता है जब तक कि कोई नवाचार नहीं किया गया हो या उद्योग को लाभ नहीं मिल रहा हो। पुरस्कारों के आंकड़ों के अवलोकन से पता चलता है कि वर्ष 2015-16 में विजेताओं की संख्या 17 थी, जो वर्ष 2019-20 में घटकर 04 हो गई। इसी प्रकार इसी अवधि के दौरान उपविजेताओं की संख्या 14 से घटकर 09 हो गई। समिति पुरस्कारों की संख्या में दुर्भाग्यपूर्ण गिरावट पर अत्यधिक रौष व्यक्त करती है। समिति का मत है कि पुरस्कारों की संख्या में कमी इस क्षेत्र में नवाचारों में कमी का संकेत देती है। अतः, समिति यह सिफारिश करती है कि इस क्षेत्र में नवाचारों को बढ़ावा देने और व्यक्तियों/संगठनों आदि की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी उपयुक्त कदम उठाए जाएं।

<u>सिफारिश संख्या 12: सीपीडीएस के अंतर्गत वित्तीय उपलब्धियां</u>

समिति नोट करती है कि वर्ष 2019-20 के लिए सीपीडीएस का ब.अ. 3.00 करोड़ रुपये था और वास्तविक व्यय 2.93 करोड़ रुपये था। वर्ष 2020-21 के लिए 3.50 करोड़ रुपये के ब.अ. प्रस्तावित किया गया था, लेकिन इसे घटाकर 2.80 करोड़ रुपये कर दिया गया था और वास्तविक व्यय भी 2.80 करोड़ रुपये है। हालांकि, वर्ष 2021-22 के लिए 3.00 करोड़ रुपये की एक बड़ी राशि का ब.अ. में निर्धारण किया गया था जिसे सं.अ. चरण में बढ़ाकर 3.60 करोड़ रुपये कर दिया गया था, जिसमें 31.12.2021 तक 1.76 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। ब.अ. में वृद्धि और कमी का कारण विभाग को प्राप्त प्रस्तावों की संख्या की प्रवृत्ति बताई गई है। समिति सिफारिश करती है कि प्रस्तावों की प्रवृत्ति का अच्छी तरह से अध्ययन किया जाए और भविष्य में एक वास्तविक ब.अ. का प्रस्ताव दिया जाए। समिति ने नोट किया कि वर्ष 2022-23 के लिए विभाग ने 6.00 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव किया था, लेकिन इसे केवल 3.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। समिति को यह भी बताया गया कि वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग) इस योजना को अपने वर्तमान स्वरूप में जारी रखने के लिए सहमत नहीं था और रसायनों के संवर्धन और विकास के लिए एक नई योजना तैयार की गई है जिसके लिए पांच वर्षों की अवधि के लिए 57.60 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है और वित्त मंत्रालय के अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है। समिति सिफारिश करती है कि इस प्रस्ताव को उच्च स्तर पर मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए और रसायन के विकास और संवर्धन के लिए विभाग के अंदर या बाहर सीपीडीएस के समानांतर कोई योजना नहीं है। हालांकि, समिति नोट करती है कि नई योजना भी केवल सहायता अनुदान और पुरस्कारों तक ही सीमित है। सीपीडीएस और एनसीपीडीएस के बीच, अंतर केवल बजट परिव्यय में ही है। समिति का विचार है कि केवल सहायता अनुदान और पुरस्कार प्रदान करके रसायनिक क्षेत्र का विकास नहीं किया जा सकता। विभाग रसायनों के संवर्धन और विकास के लिए अन्य तरीकों का भी पता लगाए।

<u>सिफारिश संख्या 13: सिपेट के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत नामांकन</u>

समिति नोट करती है कि दीर्घकालिक पाठ्यक्रम में कम से कम 13,494 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था और केवल 4390 उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया गया था और केवल 3672 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है। जहां तक कौशल विकास (अल्पकालिक पाठ्यक्रम) का संबंध है, समिति नोट करती है कि वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान क्रमश: 20994, 14417 और 1886 छात्रों को प्लेसमेंट से जुड़े कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसडीटीपी) में नियोजित किया गया था। समिति नोट करती है कि छात्रों/उम्मीदवारों की संख्या प्रति वर्ष कम हो रही है और विशेष रूप से वर्ष 2019-20 और 2020-21 के बीच का अंतर एक बड़ा अंतर है। समिति इस गिरावट के सटीक कारणों को जानना चाहती है और सिफारिश करती है कि सफल छात्रों की गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। अतः, समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि सिपेट सफल छात्रों/उम्मीदवारों को सार्थक प्लेसमेंट प्राप्त करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करे।

<u>सिफारिश संख्या 14: गत वर्ष के दौरान सिपेट का ब.अ., सं.अ. और वास्तविक व्यय</u>

समिति नोट करती है कि ब.अ. (2019-20) 80.00 करोड़ रुपए था लेकिन इसे 81.50 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया और सं.अ. की सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग किया गया। ब.अ. (2020-21) 98.25 करोड़ रुपए था और इसे 146.30 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया क्योंकि संस्थान ने 144.00 करोड़ रुपए की एकमुश्त धनराशि की मांग की थी और वित्त मंत्रालय द्वारा सं.अ. स्तर पर 50.00 करोड़ रुपए स्वीकृत किये

गये और वर्ष 2019-2020 की तरह इस वर्ष भी सं.अ. की कुल 146.30 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग किया गया। जहां तक ब.अ. (2021-22) का संबंध है समिति नोट करती है कि यह 117.88 करोड़ रुपए था लेकिन इसे सं.अ. स्तर पर घटाकर 102.34 करोड़ रुपए कर दिया गया और वास्तविक उपयोग 81.70 करोड़ रुपए बताया गया है। समिति वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के दौरान निधि के उपयोग के प्रभावशाली प्रवृत्ति से सन्तुष्ट है और आशा करती है कि वर्ष 2021-22 के दौरान आवंटित राशि का भी उपयोग कर लिया जाएगा। समिति नोट करती है सिपेट द्वारा ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित की गयीं क्योंकि लॉकडाउन की अवधि के दौरान आफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की अनुमति नहीं थी। हालांकि स्थिति सामान्य होने पर और संबंधित जिला प्रशासन के दिशानिर्देश पर सिपेट के सभी केन्द्रों ने अपने-अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रत्यक्ष/आफलाइन मोड में शुरु कर दिया है। समिति का विचार है कि सही दिशा में एक अच्छा कदम है और इच्छा व्यक्त करती है कि सिपेट के प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर कोविड-19 महामारी के विपरीत प्रभाव को कम करने और एक निर्धारित समय में प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण पूरा करने के लिए कुछ अतिरिक्त नवाचार उपाएं किए जाएं।

<u>सिफारिश संख्या 15: सिपेट में अनुसंधान एवं विकास</u>

समिति नोट करती है सिपेट के तीन अनुसंधान और विकास विंग यथा-(एक) एडवांस स्कूल फॉर टेक्नॉलॉजी एण्ड प्रोडक्ट सिमूलेशन (एआरएसटीपीएस), चेन्नई (दो) लेब्रोटरी फॉर एडवासंड रिसर्च इन पालीमरिक मैटेरियल्स (एलएआरपीएम), भुवनेश्वर और (तीन) एडवांस्ड पॉलीमर डिजाइन एण्ड डेवलपमेंट रिसर्च लेब्रोटरी (एपीडीडीआरएल), बंगलुरु हैं।

वर्ष के दौरान अनुसंधान और विकास विंग/शाखा ने अनुसंधान और विकास की 36 परियोजनाएं शुरू की हैं, 35 शोध पत्र उच्च प्रभाव कारक सहकर्मी-समीक्षीत वैज्ञानिक जर्नलों में प्रकाशित हुए और 5 पेटेंट के लिए आवेदन किया। साथ ही, एसएआरपी ने उद्योगों को ग्यारह तकनीकी सफलतापूर्वक हस्तान्तरित कर दिया है। एसएआरपी टीम द्वारा विभिन्न पुस्तकों/अध्यायों में अनुसंधान संबंधी विचारों का अनुवाद किया गया है और पॉलिमर साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी के डोमेन में अग्रणी अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा 70 जर्नलों को प्रकाशित किया गया है। समिति ने नोट किया है कि यद्यपि सिपेट के 45 केन्द्र देश भर में कार्य कर रहे हैं लेकिन सिपेट के मात्र 3 केन्द्र यथा, भुवनेश्वर, बंगलुरु और चेन्नई के पास आरएण्डडी कार्य करने का अधिदेश है। समिति ने सिफारिश की कि आरएण्डडी कार्य सिपेट के मात्र तीन केन्द्रों तक की सीमित नहीं रखा जाना चाहिए और

विभाग को जल्द ही सिपेट के अन्य केन्द्रों पर आरएण्डडी कार्य को बढ़ाने के लिए कदम उठाने चाहिएं। इस सम्बन्ध में, समिति को विभाग द्वारा उठाये गये कदमों से अवगत कराया जाए।

<u>सिफारिश संख्या 16: प्लास्टिक कचरा प्रबंधन केन्द्र</u>

समिति नोट करती है कि चारों स्थानों यथा अहमदाबाद (गुजरात), पटना (बिहार), वाराणसी (उ.प्र.) तथा बेंगलुरु (कर्नाटक) में कम से कम एक प्लास्टिक कचरा प्रबंधन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। हालांकि, राज्य सरकारों के साथ विभिन्न मुद्दों के कारण पीडब्ल्यूएमसी की स्थापना के लिए सिपेट को भूमि आवंटन में देरी हो रही है और इस मामले में कोई प्रगति नहीं है। तदनुसार, मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) में संशोधन के लिए प्रस्ताव किया गया है और एसओपी का संशोधन प्रक्रियाधीन है। समिति इसकी पुरजोर सिफारिश करती है कि एसओपी में संशोधन अतिशीघ्र किया जाए और तदनुसार ही समिति को इससे अवगत कराया जाए।

<u>सिफारिश संख्या 17: भोपाल गैस रिसाव त्रासदी (बीजीडीएल)</u>

समिति नोट करती है कि वर्ष 2019-20 के दौरान ब.अ. को 27.95 करोड़ रूपए तक बढ़ाया गया था लेकिन वास्तविक व्यय 23.61 करोड़ रूपए था। उसी प्रकार ब.अ. 31.80 करोड़ रूपए था लेकिन इसे घटाकर 21.43 करोड़ रूपए कर दिया गया और वास्तविक व्यय 18.93 करोड़ रूपए था। वर्ष 2021-2022 के लिए ब.अ. 22.06 करोड़ रूपए था जिसे कम कर 18.53 करोड़ रूपए कर दिया गया और वास्तविक व्यय 13.57 करोड़ रूपए था। इस प्रकार कई कारणों से लगातार तीन वर्षों में आवंटित निधि के उपयोग में गिरावट आयी है। समिति इन कारणों की गहराईयों में नहीं जाना चाहती है क्योंकि इन प्रशासनिक मामलों को केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा ही निपटाया जाता है। हालांकि, समिति की इच्छा है और समिति सिफारिश भी करती है कि कम से कम मानवीय आधार पर विभाग को आगे आना चाहिए और अनुग्रह राशि की भुगतान संबंधी समस्याओं का समाधान करना चाहिए ताकि उन्हें राहत/सहायता दी जा सके।

<u>सिफारिश संख्या 18: जहरीले कचरे को हटाना</u>

जहां तक जहरीले कचरे को हटाने संबंधी मामले का संबंध है, समिति को सूचित किया गया है कि माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री की अध्यक्षता में एक निरीक्षण समिति गठित की गई है। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश सरकार ने एक अंतरराष्ट्रीय निविदा जारी की है और जहरीले कचरे के परिवहन के

लिए भी एक संगठन की पहचान की गई है। इसके अलावा, एक प्रस्ताव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को आवश्यक अनुमोदन के लिए भेजा जा रहा है। समिति इस बात से क्षुब्ध है कि भोपाल गैस त्रासदी 1984 में घटित हुआ था और उस घटना के 38 वर्ष बीत जाने के बाद भी तथा केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बावजूद यह मामला प्रक्रियाधीन है। समिति सिफारिश करती है कि विभाग को जहरीले कचरे को हटाने से संबंधित स्पष्ट विवरणों के साथ आगे आए और तदनुसार उन्हें अवगत कराया जाए।

<u>सिफारिश संख्या 19: प्रमुख रसायनों और पेट्रो-रसायनों का आयात व निर्यात</u>

पिछले 5 वर्षों में प्रमुख रसायन और पेट्रो-रसायन के आयात और निर्यात के विवरण के संबंध में समिति नोट करती है कि आयात और निर्यात की प्रवृत्ति मिश्रित उत्पाद-वार प्रवृत्ति बतलाता है, किंतु वर्ष 2019-20 (कोविड-19 के कारण) को छोड़कर कुल आयात वर्ष दर वर्ष बढ़ा है। हालांकि, निर्यात के मामले में 2016-17 से 2018-19 तक रुझान बढ़ रहा था और बाद के वर्षों (2019-20 तथा 2020-21) में इसमें कमी होती रही है। समिति सिफारिश करती है कि रसायन और पेट्रो-रसायन के निर्यात को बढ़ाने और इसके आयात को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। इस संबंध में उठाए गए कदमों के बारे में समिति को सूचित किया जाए। समिति के संज्ञान में एक चिंताजनक बात यह आयी है कि भारत में रसायन और पेट्रो-रसायन की प्रति व्यक्ति खपत दूसरे विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है और यह बतलाता है कि आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में वृद्धि की पर्याप्त क्षमता है। चूंकि भारत रसायन और पेट्रो-रसायन का एक बड़ा उपभोक्ता है और यह अनुमान है कि आने वाले दशकों में उत्पादन और खपत लगातार बढ़ती रहेगी। समिति सिफारिश करती है कि विभाग को इस क्षेत्र में वृद्धि के लिए क्षमता के दोहन हेतु अतिशीघ्र ठोस कदम उठाना चाहिए। एक अन्य विशेषता बात संज्ञान में आया है कि बहुत से उत्पाद नामतः पॉलीकार्बोनेट, सुपर एब्जार्वेन्ट पॉलिमर्स, मिथाईल मेथाक्राइलेट, बुटाडीन स्टाइरीन, पॉलिसेटल्स, मेथिलीन डाईफेनिल डाइसोसायनेट, एथिलीन विनाइल एसीटेट और एथिलीन प्रोपीलीन डाइन मोनोमर की घरेलू उत्पादन क्षमता नहीं है और ये पूर्णत: आयात आधारित उत्पाद है। इसके अतिरिक्त, कारोबार किए जाने वाले अधिसंख्य पेट्रोरसायन में ऐसा कोई उत्पाद नहीं है जिसमें घरेलू उत्पादन क्षमता हो। हालांकि, पॉलिएथिलीन के पॉलिप्रोपिलीन जैसे उत्पाद हैं जिनकी घरेलू उत्पादन क्षमता आत्मनिर्भर होने के करीब है, फिर भी इन पॉलीमरों और इनके को-पॉलिमर के विभिन्न ग्रेड हैं, जिनका उत्पादन देश में नहीं किया जाता है और बड़ी मात्रा में इनका आयात किया जा रहा

है। इस संबंध में, समिति की है कि विभाग इस मुद्दे को प्राथमिक आधार पर देखे और इन उत्पादों की आयात-निर्भरता को कम करने के लिए कदम उठाए। विभागों को पॉलिमर और को-पॉलिमर के विभिन्न ग्रेडों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए एक नीति तैयार करे जिनका उत्पादन देश में नहीं किया जाता हैं और जिनका अभी आयात किया जा रहा है।

<u>सिफारिश संख्या 20: पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रो-रसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर)</u>

समिति नोट करती है कि पीसीपीआईआर का लक्ष्य और उद्देश्य रसायन क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ाना और रोजगार सृजन करना है। पीसीपीआईआर के इन बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा चार पीसीपीआईआर (एक) गुजरात (दाहेज) (2009 में), (दो) आन्ध्र प्रदेश (विशाखापत्तनम) (2009 में), (तीन) ओडिशा (पारादीप) (2010 में) और (चार) तमिलनाडू (कूडालोर और नागपट्टिनम) (2012 में) अधिसूचित की गई है। समिति आगे नोट करती है कि इन पीसीपीआईआर में लगभग 7.63 लाख करोड़ रूपये निवेश किया जाना था और इनसे लगभग 33.88 लाख लोगों को रोजगार देने की अपेक्षा की गई थी। हालांकि, समिति को खेद है कि वर्ष 2009, 2010 और 2012 में स्थापित ये चार पीसीपीआईआर अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उदाहरणार्थ, आन्ध्र प्रदेश और ओडिशा में पीसीपीआईआर के मास्टर प्लान को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है जबकि तमिलनाडू में पीसीपीआईआर, पीसीपीआईआर प्रबंधन बोर्ड के गठन के बाद ही स्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा में पीसीपीआईआर को पर्यावरण मंजूरी नहीं मिल पायी है वहीं तमिलनाडु पीसीपीआईआर प्रबंधन बोर्ड के गठन के बाद ही मिल पाएगा। इस संबंध में विभाग ने बताया है कि ये सभी 20-25 वर्षों में तैयार होने वाली बड़ी परियोजना है और पूर्ण क्षमता की प्राप्ति एक क्रमिक प्रक्रिया है। समिति, विभाग के तर्क से सहमत भी है लेकिन उसका विचार है कि पीसीपीआईआर के स्थापना के 12 से 13 वर्ष बीतने के बाद भी कुछ बुनियादी मुद्दे जैसे मास्टर प्लान और पर्यावरण आयात मूल्यांकन को अभी तक नहीं सुलझाया गया है। इसलिए, समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि मामले की जांच की जाए और यथाशीघ्र ठोस कदम उठाए जाएं। समिति ने नोट किया है कि पीसीपीआईआर नीति को ज्यादा सफल बनाने के लिए यह विभाग के पास सक्रिय रूप विचाराधीन है। सुधार के लिए कुछ प्रस्तावों शामिल हैं: (एक) नये पीसीपीआईआर का न्यूनतम आवश्यक क्षेत्र 250 से 50 वर्ग किमी तक कम करना और (दो) प्रबंधन बोर्ड के नाम को बदलकर विकास एवं प्रबंधन बोर्ड करना इत्यादि। समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि पीसीपीआईआर नीति में न

केवल चार पीसीपीआईआर को एक ठोस आकार दिये जाने बल्कि विभाग द्वारा प्रस्तावित 33.83 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने एवं विभाग द्वारा यथा प्रस्तावित 7.63 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित करने के लिए में यथाशीघ्र आवश्यक सुधार किया जाए।

नई दिल्ली;
16 मार्च , 2022
25 फाल्गुन, 1943(शक)

कनिमोझी करुणानिधि
सभापति
रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

परिशिष्ट एक

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति
(2021-22)

समिति की तीसरी बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक गुरुवार, 24 फरवरी , 2022 को 1400 बजे से 1530 बजे तक समिति कमरा संख्या 1, संसदीय सौध विस्तार भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि - सभापति

सदस्य

<u>लोक सभा</u>

2. श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर
3. श्री सत्यदेव पचौरी
4. श्री अरुण कुमार सागर
5. डॉ. संजीव कुमार शिंगरी
6. श्री प्रदीप कुमार सिंह
7. श्री उदय प्रताप सिंह
8. श्री इंद्रा हांग सुब्बा

<u>राज्य सभा</u>

9. श्री अयोध्या रामी रेड्डी आला
10. श्री जी.सी. चन्द्रशेखर
11. डॉ. अनिल जैन
12. श्री अरुण सिंह
13. श्री विजय पाल सिंह तोमर

<u>सचिवालय</u>

1. श्री विनोद कुमार त्रिपाठी - संयुक्त सचिव
2. श्री नवीन कुमार झा - निदेशक
3. श्री सी. कल्याणसुन्दरम - अपर निदेशक
4. श्री कुलविन्दर सिंह - उप सचिव
5. श्री पन्ना लाल - अवर सचिव

<u>साक्षी</u>

एक. **रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग)**

क्रम सं.	**नाम**	**पदनाम**
1.	श्रीमती आरती अहूजा	सचिव, सीएंडपीसी
2.	श्री सतेन्द्र सिंह	एएस एंड एफए
3.	श्री काशी नाथ झा	संयुक्त सचिव
4.	श्री एन.के. सन्तोषी	डीडीजी
5.	श्री एच. काम सुआंथांग	निदेशक (प्रशासन/सतर्कता)
6.	श्री के.के. श्रीवास्तव	निदेशक
7.	श्री राम सजीवन	संयुक्त निदेशक

पीएसयू/स्वायत्त संस्थाओं के प्रतिनिधि

1.	श्री जितेन्दर कुमार	निदेशक, आईपीएफटी
2.	डाशिशिर सिन्हा .	डीजी, सीआईपीईटी
3.	श्री संजीव बी.	सीएमडी, एचओसीएल एंड सीएमडी
4.	श्री एसमोहन्ती .पी.	सीएमडी, एचआईएल
5.	श्री दीपेश कुमार तिवारी	रजिस्ट्रार, बीजीडीएल

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने 'अनुदानों की मांगों 2022-23' के सम्बन्ध में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेने के लिए बुलाई गई बैठक में समिति के सदस्यों और मंत्रालय के प्रतिनिधियों का स्वागत किया। संसदीय समितियों के समक्ष साक्ष्य के दौरान कार्यवाही की गोपनीयता के सम्बन्ध में 'लोक सभा अध्यक्ष के निदेश के निदेश 58 की ओर साक्षियों का ध्यान आकर्षित करते हुए, सभापति ने सचिव, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) से गत वर्ष (2021-22) केवास्तविक व्यय पर जानकारी देने के लिए और वर्ष 2022-23 के विभिन्न कार्यक्रमों/कार्यकलापों/स्कीमों के लिए बजटीय प्रावधान और निर्धारित निधि के इष्टतम उपयोग और वास्तविक लक्ष्यों संबंधी अधिकतम उपलब्धि के लिए मंत्रालय की कार्ययोजना के बारे में पूछा।

3. रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के प्रतिनिधियों ने पॉवर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण के द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ इस विभाग को दिए गए कार्य विजन विवरण 2024, रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र को बढ़ावा देने वाली सरकारी पहल, पेट्रोरसायन की नई योजनाओं के तहत रसायन संवर्द्धन एवं विकास स्कीम (सीपीडीएस), सीपीडीएस के तहतराष्ट्रीय पुरस्कार, पेट्रोलियम-रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर) नीति, चार पीसीपीआईआर की अद्यतन स्थिति, इस विभाग के अंतर्गत आने वाले

संस्थान यथा स्वायत्त निकाय जैसे सीआईपीईटी और आईपीएफटी; सांविधिक निकाय जैसे कल्याण आयुक्त भोपाल का कार्यालय, भोपाल गैस लीक डिजास्टर (बीजीडीएल), भोपाल, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जैसे एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली; हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल), नवी मुम्बई, हिन्दुस्तान फ्लोरोकाबर्न्स लिमिटेड (एचएफएल) इत्यादि पर प्रकाश डाला।

4. मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने सदस्यों द्वारा पूछे गये विभिन्न प्रश्नों का भी उत्तर दिया जिसमें विभाग के व्यय में मितव्ययता बरतने के उद्देश्य से सरकार द्वारा शुरू की गई नकदी प्रबंधन प्रणाली, प्लास्टिक पार्कों की स्थापना में देरी, अनुदान सहायता के लिए सीपीडीएस के तहत आने वाले आवेदनों को अस्वीकार करने का कारण,नेशनल पेट्रोकेमिकल्स अवार्ड, गुजरात (दाहेज), आन्ध्र प्रदेश (विशाखापत्तनम), ओडिशा (पारादीप) और तमिलनाडू (कूड्डुलोर और नागपत्तिनम) में पीसीपीआईआर की स्थिति, भोपाल गैस रिसाव आपदा (बीजीएलडी) के कारण मुआवजा दिया जाना, सीआईपीईटी द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रम जैसे कौशल विकास अकादमी कार्यक्रम, पेट्रोरसायन उद्योग में विकास के लिए पेट्रोरसायन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उभरते हुए क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास, आईपीएफटी आदि शामिल हैं।

5. माननीय सभापति ने विषय-वस्तु पर बहुमूल्य जानकारी देने के लिए और सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सचिव और अन्य प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया।

6. बैठक की कार्यवाही के शब्दश: रिकार्ड की एक प्रति अलग से रख ली गई है।

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

परिशिष्ट दो

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

(2021-22)

समिति की छठी बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक बुधवार, 16 मार्च, 2022 को 1500 बजे से 1545 बजे तक समिति कक्ष 'सी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री अरूण सिंह - सभापति (कार्यकारी)

सदस्य

<u>लोक सभा</u>

2. श्री रमाकान्त भार्गव
3. श्री राजेश नारणभाई चुड़ासमा
4. श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागि
5. श्री सत्यदेव पचौरी
6. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
7. डॉ. एम.के. विष्णु प्रसाद
8. डॉ. संजीव कुमार शिंगरी
9. श्री उदय प्रताप सिंह
10. श्री इंद्रा हांग सुब्बा

राज्य सभा

11. श्री अयोध्या रामी रेड्डी आला
12. श्री जी. सी. चन्द्रशेखर
13. श्री जयप्रकाश निषाद
14. श्री विजय पाल सिंह तोमर
15. श्री के. वेंलेल्वना

<u>सचिवालय</u>

1. श्री विनोद कुमार त्रिपाठी - संयुक्त सचिव
2. श्री नवीन कुमार झा - निदेशक
3. श्री सी. कल्याणसुंदरम - अपर निदेशक
4. श्री कुलविंदर सिंह - उप सचिव
5. श्री पन्नालाल - अवर सचिव

2. चूंकि समिति के सभापति बैठक में भाग लेने में असमर्थ थीं इसलिए समिति ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 258 (3) के अंतर्गत बैठक के सभापति के रूप में श्री अरूण सिंह, संसद सदस्य का चयन किया।

3. तत्पश्चात, कार्यकारी सभापति ने समिति के सदस्यों का इस बैठक में स्वागत किया जिसे चार प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचारोपरांत स्वीकार करने के आयोजित की गई थी। तत्पश्चात, समिति ने निम्नलिखित प्रारूप प्रतिवेदनों को विचारोपरांत स्वीकार करने के लिए उठाया:-

(i) **** **** ****
(ii) **** **** ****
(iii) रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग) की 'अनुदानों की मांगें (2022-23)'; और
(iv) **** **** ****

4. समिति ने इन प्रतिवेदनों को विचारोपरांत सर्वसम्मति से किसी संशोधन के बिना ही स्वीकार कर लिया।

5. तत्पश्चात समिति ने सभापति को इन प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और संसद के चालू सत्र में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।